



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092021-229628  
CG-DL-E-15092021-229628

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943

No. 394]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

**सं.एल-1/236/2018/केविआ.**—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उपधारा (2) के खंड (ध) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2019 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम तथा आरंभ:** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 है।  
(2) ये विनियम राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।  
(3) ये विनियम मूल विनियम के विनियम 6 और विनियम 59 के संशोधन के सिवाय, जो राजपत्र में इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे, दिनांक 1.4.2019 से 31.3.2024 तक की पांच वर्षों की टैरिफ अवधि के लिए लागू होंगे।
- मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (2) का संशोधन:**

2.1 मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के बाद, नया खंड (1क) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(1क) ये विनियम उन सभी मामलों में लागू होंगे जहाँ उत्पादन कंपनी के एक या अधिक विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग उत्पादन केन्द्रों, जिनका टैरिफ अधिनियम की धारा 79 के साथ पठित धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया जाना है,

के लिए उत्पादन कंपनी में उसे आबंटित एकीकृत खदान (खदानों) से कोयले या लिग्नाइट की आपूर्ति के लिए व्यवस्था है।"

### 3. मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (4) के बाद, एक नया खंड, अर्थात्, खंड (4क) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(4क) एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में, 'वार्षिक लक्ष्य मात्रा' या 'एटीक्यू' से खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी एकीकृत खदान (खदानों) से वर्ष के दौरान निकाले जाने वाले कोयले या लिग्नाइट की मात्रा अभिप्रेत है:

परंतु यह कि यदि कोयला या लिग्नाइट की एकीकृत खदान, खनन योजना के अनुसार कोयला या लिग्नाइट की आपूर्ति के लिए तैयार हैं परंतु ऐसे कारणों से रोकी गई है जो उत्पादनकारी कंपनी से संबंधित नहीं हैं, आयोग खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट वर्ष के दौरान कोयला या लिग्नाइट की निकाले जाने वाली मात्रा के 15 प्रतिशत तक के अधिकतम तक वार्षिक लक्ष्य मात्रा में छूट दे सकता है।"

3.2 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (5) में, प्रथम परंतुक में "एकीकृत कोयला खदान" शब्दों के स्थान पर, "एकीकृत खदान (खदानों)" शब्द रखे जाएंगे;

3.3 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (9) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

"(9) 'पूँजी लागत' से, यथास्थिति, उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली के संबंध में इस विनियम के विनियम 19 और एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में इस विनियम के विनियम 36घ में यथा अवधारित पूँजी लागत अभिप्रेत है।"

3.4 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (14) में, "पश्चात्" शब्द के बाद ", सिवाय एकीकृत खदान (खदानों) के," शब्द जोड़े जाएंगे।

3.5 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (15) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

"(15) किसी थर्मल उत्पादन स्टेशन या हाइड्रो उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली या संचार प्रणाली के संबंध में, 'वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख' या 'सीओडी' का वही अर्थ होगा जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित ग्रिड कोड में परिभाषित है:

परंतु यह कि एकीकृत खदान (खदानों) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का वही अर्थ होगा जो कि इस विनियम के विनियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट है;"

3.6 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (15क) के बाद, एक नया खंड, अर्थात् खंड (15ख) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(15ख) एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में, 'उत्पादन के आरंभ की तारीख' से उत्पादन कंपनी द्वारा यथा घोषित यथास्थिति, कोयला या लिग्नाइट, को स्पर्श करने की तारीख अभिप्रेत है;"

3.7 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (20क) के बाद, एक नया खंड, अर्थात् खंड (20ख) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(20ख) 'एस्करो खाता' से कोयला नियंत्रक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत खदान (खदानों) के खदान समापन व्यय के जमा और बनाए रखा गया खाता अभिप्रेत है;"

3.8 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (21) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

"(21) 'विद्यमान परियोजना' से वह उत्पादन केन्द्र और पारेषण प्रणाली अभिप्रेत है जिसे वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन दिनांक 1.4.2019 के पहले की तारीख को घोषित किया गया है;"

3.9 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (36) में, प्रथम लाइन में "लिग्नाइट की कीमत" शब्द के स्थान पर "लिग्नाइट की कीमत (विद्यमान लिग्नाइट खदानों के संबंध में लिग्नाइट की अंतरण कीमत सहित)" शब्द रखे जाएंगे।

3.10 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (40) के प्रथम परंतुक के बाद, दो नए परंतुक निम्नानुसार जोड़े जाएंगे:

"परंतु यह और कि एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में, वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा को निवेश अनुमोदन में पृथक और स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां निवेश अनुमोदन में उत्पादन केन्द्र और एकीकृत खदान (खदानों) दोनों सम्मिलित हैं, वहां एकीकृत खदान (खदानों) के लिए वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को तय किया जाएगा और उन्हें निवेश अनुमोदन में पृथक रूप से और स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा।"

3.11 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (41) के बाद, नया खंड, अर्थात् खंड (41क) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(41क) एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में, 'लदाई बिंदु' से रेल के साइडिंग या साइलो या कोयला हैंडलिंग संयंत्र या वाहक पट्टी जैसी अन्य व्यवस्था की अवस्थिति अभिप्रेत है, जो भी यथास्थिति, कोयला या लिग्नाइट के प्रेषण के लिए खदान के निकटतम हो;"

3.12 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (43) के बाद, दो नए खंड, अर्थात् खंड (43क) और खंड (43ख) निम्नानुसार जोड़े जाएंगे:

"(43क) 'खदान की अवसंरचना' में एकीकृत खदान (खदानों) की आस्तियाँ शामिल होंगी जैसे कि खनन प्रचालनों के लिए प्रयुक्त मूर्त परिसंपत्तियाँ, सिविल कार्य, कार्यशालाएं, अचल विनिंग उपकरण, नींव, बांध, फुटपाथ, विद्युत प्रणालियाँ, संचार प्रणालियाँ, राहत केंद्र, स्थल प्रशासनिक कार्यालय, अचल संस्थापनाएं, हैंडलिंग व्यवस्थाएं, क्रशिंग और कन्वेइंग प्रणालियाँ, रेलवे साइडिंग, पिट्स, शापट्स, इन्क्लाइंस, भूमिगत परिवहन प्रणालियाँ, हॉलिंग प्रणालियाँ (चल उपकरण को छोड़कर जब तक कि वह उसके स्थायी लाभकारी उपयोग के लिए भूमि में अंतःस्थापित न हो), वनरोपण के लिए सीमांकित भूमि और संगत कानून के अधीन खनन प्रचालनों से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए भूमि;

(43ख) एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में, 'खनन योजना' या 'खदान योजना' से, समय-समय पर यथा संशोधित, खनिज रियायत नियम, 1960 के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई और यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, द्वारा खदान और खनिज (विकास और पुनर्वास) अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अनुमोदित की गई योजना अभिप्रेत है;"

3.13 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (45) के अंत में, अर्द्ध विराम (;) के स्थान पर विवरण चिन्ह (: ) रखा जाएगा और उक्त खंड के अधीन एक परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"परंतु यह कि एकीकृत खदान (खदानों) के लिए, प्रचालन एवं रखरखाव व्यय में, उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक, यदि कोई हो, को प्रदत्त खनन प्रभार को और खदान समापन व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा।"

3.14 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (46) के बाद, नया खंड, अर्थात्, खंड (46क) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(46क) एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में 'पीक दर क्षमता' से खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट खदान की पीक दर क्षमता अभिप्रेत है;"

3.15 मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (73) के उप-खंड (छ) के बाद, नया उप-खंड, अर्थात् (ज) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(ज) एकीकृत खदान (खदानों) खनन योजना के अनुसार"

#### 4. मूल विनियम के विनियम 4 का संशोधन:

4.1 मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (4) के बाद, नया खंड, अर्थात् खंड (4क) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(4क) एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में, "टन" से कोयला या लिग्नाइट का मीट्रिक टन अभिप्रेत है;"

4.2 मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (5) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

"(5) 'वर्ष' से 1 अप्रैल को आरंभ और 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है:

परंतु यह कि नई परियोजना या एकीकृत खदान (खदानों) के मामले में प्रथम वर्ष, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से आरंभ होगा और 31 मार्च के तुरंत बाद समाप्त होगा।"

#### 5. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन:

5.1 मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (2) के बाद, नया खंड, अर्थात्, खंड (3) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(3) एकीकृत खदान (खदानों) के मामले में, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से निम्नलिखित का शीघ्रतम अभिप्रेत होगा -

(क) उस वर्ष, जिसमें खनन योजना के अनुसार पीक दर क्षमता का 25% हासिल किया गया है, के उत्तरवर्ती वर्ष की प्रथम तारीख; या

(ख) उस वर्ष, जिसमें इस विनियम के विनियम 7क के अनुसार उत्पादन का अनुमानित मूल्य, उस वर्ष में कुल व्यय से अधिक हो, के अनुवर्ती वर्ष की प्रथम तारीख; या

(ग) उत्पादन के आरंभ की तारीख से दो वर्षों की तारीख:

परंतु यह कि इस विनियम के खंड (3) के उपखंड (क) से उपखंड (ग) के अधीन किसी भी घटना के शीघ्रतम घटित होने पर उत्पादन कंपनी, अंतिम उपयोगकर्ता या संबंधित उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों) के फायदाग्राहियों को एक सप्ताह पूर्व सूचना के साथ सुसंगत उपखंड के अधीन एकीकृत खदान (खदानों) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख घोषित करेगी:

परंतु यह और कि यदि एकीकृत खदान (खदानें) वाणिज्यिक प्रचालन के लिए तैयार हैं किन्तु उसे ऐसे कारणों से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा करने से रोका गया है जो उत्पादन कंपनी या इसके आपूर्तिकर्ता या संविदाकारों या खदान विकासकर्ता और प्रचालक से संबंधित नहीं हैं, तो आयोग उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर इस विनियम के खंड (3) के किसी भी उपखंड के अधीन उन संगत कारणों पर विचार करते हुए जिन्होंने वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा को रोका है, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के रूप में ऐसी कोई भी तारीख अनुमोदित कर सकता है जो भी समुचित समझी जाए:

परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का अनुमोदन मांगने वाली उत्पादन कंपनी, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के संबंध में, एकीकृत खदान (खदानों) के अंतिम उपयोगकर्ता या संबंधित उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों) के फायदाग्राहियों को एक मास का पूर्व नोटिस देगी।"

## 6. मूल विनियम के विनियम 6 का संशोधन:

6.1 मूल विनियम के विनियम 6 को हटा दिया जाएगा।

## 7. मूल विनियम में नए विनियम 7क का अंतर्वेशन:

7.1 मूल विनियम के विनियम 7 के बाद, एक नया विनियम, अर्थात् 7क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

**"7क. एकीकृत खदान के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व कोयले या लिग्नाइट की आपूर्ति:** एकीकृत खदान (खदानों) से कोयले या लिग्नाइट की आपूर्ति के लिए इनपुट मूल्य, उनके वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व निम्नानुसार होगा:

- (क) कोयले की दशा में, विनिवेश अनुमोदन में उपलब्ध अनुमानित मूल्य, या विद्युत क्षेत्र को आपूर्तित कोयले की तत्स्थानी श्रेणी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का अधिसूचित मूल्य, जो भी कम हो; और
- (ख) लिग्नाइट की दशा में, विनिवेश अनुमोदन में उपलब्ध अनुमानित मूल्य, या लिग्नाइट के अंतरण मूल्य के लिए आयोग द्वारा यथा अवधारित अंतिम उपलब्ध पूल किया गया लिग्नाइट मूल्य, जो भी कम हो:

परंतु यह कि एकीकृत खदान (खदानों) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व कोयले या लिग्नाइट की आपूर्ति से अर्जित कोई राजस्व, उक्त एकीकृत खदान (खदानों) की पूंजी लागत के समायोजन में प्रयुक्त किया जाएगा।"

## 8. मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन:

8.1 मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (4) के अंत में, पूर्ण विराम (।) के स्थान पर उप विराम (: ) रखा जाएगा और उक्त खंड के बाद, एक परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"परंतु यह कि एकीकृत खदान (खदानों) सहित उत्पादन कंपनी, एकीकृत खदान (खदानों) से कोयले या लिग्नाइट के इनपुट मूल्य के अवधारण के लिए, एकीकृत खदान (खदानों) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख या इस विनियम की अधिसूचना की तारीख, जो भी बाद में हो, से 60 दिनों के भीतर याचिका दायर करेगी और इस विनियम के अनुसार संबंधित उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों) के टैरिफ के अवधारण या पुनरीक्षण की मांग भी कर सकती है।"

## 9. मूल विनियम के विनियम 10 का संशोधन:

9.1 मूल विनियम के विनियम 10 के खंड (1) के बाद, नया खंड, अर्थात् खंड (1क) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(1क) एकीकृत खदान (खदानों) वाली उत्पादन कंपनी, एकीकृत खदान (खदानों) से कोयले या लिग्नाइट के इनपुट मूल्य के अवधारण के लिए इस विनियम के अनुबंध—। (भाग—IV) के अनुसार आयोग के समक्ष, हो चुके व्यय और होने वाले अनुमानित व्यय के विवरणों, जो कि संपरीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित हैं, सहित याचिका दायर करेगी।"

## 10. मूल विनियम के विनियम 11 का संशोधन:

10.1 मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (1) के बाद, नया खंड, अर्थात् खंड (2) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(2) कानून प्रक्रिया में बदलाव या अप्रत्याशित घटना के लिए, एकीकृत खदान (खदानों) में कोई अतिरिक्त पूंजीकरण करने वाली उत्पादक कंपनी, फायदाग्राहियों को सूचित करने के बाद, ऐसे व्यय के लिए निहित पूर्वधारणाओं, अनुमानों और स्पष्टीकरण के साथ, ऐसे व्यय के लिए सिद्धांततः अनुमोदन हेतु याचिका दायर कर सकती है, यदि अनुमानित व्यय एकीकृत खदान (खदानों) की स्वीकृत पूंजी लागत के 10% या 100 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, से अधिक होता है।"

### 11. मूल विनियम के विनियम 13 का संशोधन:

11.1 मूल विनियम के विनियम 13 के खंड (1) के बाद, नया खंड, अर्थात् खंड (1क) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(1क) टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों) की एकीकृत खदान (खदानों) से कोयले या लिग्नाइट का इनपुट मूल्य, निम्नलिखित के लिए दू अप किया जाएगा:

- (क) दिनांक 31.3.2024 तक अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित आयोग द्वारा यथा स्वीकृत पूंजी व्यय;
- (ख) अप्रत्याशित घटना और कानून में परिवर्तन के कारण 31.3.2024 तक अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित आयोग द्वारा यथा स्वीकृत पूंजी व्यय;
- (ग) विनियम 36अ के उपबंधों के अनुसार, प्रचालन एवं रखरखाव व्यय।"

11.2 मूल विनियम के विनियम 13 के खंड (4) के बाद नया खंड, अर्थात् खंड (4क) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(4क) द्रुंग अप के बाद, यदि पहले से वसूल किया गया इनपुट मूल्य, इस विनियम के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित इनपुट मूल्य से अधिक होता है या कम होता है, तो छह समान मासिक किस्तों में टैरिफ अवधि के संबंधित वर्षों की 1 अप्रैल को बैंक दर के समान दर पर साधारण ब्याज सहित यथास्थिति, अधिक वसूल की गई या कम वसूल की गई राशि, उत्पादन कंपनी द्वारा लौटाई जाएगी या वसूल की जाएगी:

परंतु यह कि उत्पादन कंपनी, अनुसूचित ऊर्जा के आधार पर ऐसी अधिक राशि फायदाग्राहियों को वापस करेगी या कम राशि को उनसे वसूल करेगी।"

### 12. मूल विनियम के विनियम 16 का संशोधन:

12.1 मूल विनियम के विनियम 16 के दूसरे परंतुक के बाद नया परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"परंतु यह भी कि एकीकृत खदान (खदानों) से कोयले या लिग्नाइट की आपूर्ति की दशा में, प्राथमिक ईंधन की अवधारित लागत, इस विनियम के अनुसार यथा आकलित यथास्थिति, कोयले या लिग्नाइट, के इनपुट मूल्य पर आधारित होगी।"

### 13. मूल विनियम के विनियम 22 का संशोधन:

13.1 मूल विनियम के विनियम 22 में, "परियोजना" शब्द के स्थान पर "नई परियोजनाओं" शब्द रखे जाएंगे।

### 14. मूल विनियम के अध्याय-9 के शीर्षक का संशोधन:

14.1 मूल विनियम के अध्याय-9 के शीर्षक में "की गणना" शब्द के स्थान पर "का अवधारण" शब्द रखे जाएंगे।

### 15. मूल विनियम के विनियम 36 का संशोधन:

15.1 मूल विनियम के विनियम 36 के खंड(1) में, "की गणना आयोग द्वारा अलग से अधिसूचित किए जाने वाले अधिनियमों के अनुसार की जाए" शब्दों के स्थान पर, "का अवधारण इस विनियम के अनुसार किया जाए"।

15.2 मूल विनियम के विनियम 36 के खंड (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

"(2) उत्पादन कंपनी, एकीकृत खदान (खदानों) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद से लेकर इस विनियम के अधीन आयोग द्वारा कोयले के इनपुट मूल्य के अवधारण तक, उत्पादन केन्द्र के लिए कोयले के इनपुट मूल्य के रूप में एकीकृत खदान (खदानों) से कोयले की श्रेणी के अनुरूप कोल इंडिया लिमिटेड के अधिसूचित मूल्य या निवेश अनुमोदन में उपलब्ध अनुमानित मूल्य, जो भी कम हो, को अपनाएगी:

परंतु यह कि बिल किए गए कोयले की मात्रा के लिए, इस विनियम के अधीन अवधारित कोयले के इनपुट मूल्य और इस अवधारण से पूर्व यथा अंगीकार किए गए कोयले के इनपुट मूल्य के बीच के अंतर को, इस विनियम के खंड (4) के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

(3) उत्पादन कंपनी, एकीकृत खदान (खदानों) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद से लेकर इस विनियम के अधीन आयोग द्वारा लिग्नाइट के इनपुट मूल्य के अवधारण तक, लिग्नाइट के अंतरण मूल्य या निवेश अनुमोदन में उपलब्ध अनुमानित मूल्य, जो भी कम हो, के लिए आयोग द्वारा यथा अवधारित अंतिम

उपलब्ध पूल किया गया लिग्नाइट मूल्य पर उत्पादनकारी केन्द्र के लिए लिग्नाइट का इनपुट मूल्य निर्धारित करेगी:

परंतु यह कि बिल किए गए लिग्नाइट की मात्रा के लिए, इस विनियम के अधीन अवधारित लिग्नाइट के इनपुट मूल्य और इस अवधारण से पूर्व यथा निर्धारित लिग्नाइट के इनपुट मूल्य के बीच के अंतर को, इस विनियम के खंड (4) के अनुसार समायोजित किया जाएगा।"

15.3 मूल विनियम के विनियम 36 के खंड (3) के बाद नया खंड, अर्थात् खंड (4) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(4) इस विनियम के खंड (2) या खंड (3) के अधीन इनपुट मूल्य की अधिकता या कम वसूली की दशा में, उत्पादन कंपनी छह समान मासिक किस्तों में टैरिफ अवधि के संबंधित वर्षों के 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दर के बराबर ब्याज की साधारण दर पर अधिक या कम राशि को यथास्थिति, वापस या वसूल, करेगी।"

**16. मूल विनियम के अध्याय 9 के अधीन नए विनियम का अंतःस्थापन:**

16.1 मूल विनियम के विनियम 36 के बाद, निम्नलिखित विनियम (36क से 36त) निम्नानुसार जोड़े जाएंगे:

**"36क. कोयले या लिग्नाइट का इनपुट मूल्य:** (1) एकीकृत खदान (खदानों) से कोयले या लिग्नाइट का इनपुट मूल्य निम्नलिखित अल्पघटकों के आधार पर अवधारित किया जाएगा:

I) खदान की प्रचालन लागत (आरओएम); और

II) अतिरिक्त प्रभार;

क. क्रशिंग प्रभार;

ख. वाशरी सीमा तक यथास्थिति, खदान के भीतर या एकीकृत खदान से, संबद्ध कोयला हैंडलिंग प्लांट, तक परिवहन प्रभार;

ग. खदान की सीमा पर हैंडलिंग प्रभार;

घ. वाशिंग प्रभार; और

ङ. यथास्थिति, वाशरी सीमा या कोयला हैंडलिंग प्लांट, से आगे और लदाई बिंदु तक परिवहन प्रभार:

परंतु यह कि एकीकृत खदान (खदानों) की दशा में, खनन गतिविधियों के क्षेत्र और प्रकृति के आधार पर अतिरिक्त प्रभारों के एक या एक से अधिक अल्प घटक लागू हो सकते हैं:

परंतु यह और कि लिग्नाइट के इनपुट मूल्य की संगणना, बकेट एक्सकेवेटर कनवेयर या बेल्ट-स्प्रैडर या इसके संयोजन जैसी प्रौद्योगिकी पर आधारित खदान के प्रचालन (आरओएम) और हैंडलिंग प्रभारों, यदि कोई हो, के आधार पर जाएगी।

(2) यथा लागू सांविधिक प्रभारों की अनुमति होगी।

**36ख. खदान की प्रचालन लागत (आरओएम):** (1) कोयला खदान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अधीन नीलामी के माध्यम से आबंटित एकीकृत खदान (खदानों) की दशा में, खदान की लागत को निम्नानुसार आकलित किया जाएगा:

$$\text{आरओएम लागत} = (\text{कोयले का उद्धृत मूल्य}) + (\text{नियत रिजर्व मूल्य})$$

जहाँ,

(i) संबंधित कोयला ब्लॉक या खदान के मामले में कोयले का उद्धृत मूल्य, कोयला खदान विकास और उत्पादन करार में यथा उपबंधित, पश्चात्पूर्वी वृद्धि के साथ, यदि कोई हो, कोयले का अंतिम मूल्य प्रस्ताव है:

परंतु यह कि नीलामी के दौरान उत्पादन कंपनी द्वारा उद्धृत अतिरिक्त प्रीमियम को, यदि कोई हो, खदान की प्रचालन लागत में नहीं माना जाएगा;

(ii) नियत रिजर्व मूल्य, कोयला खदान विकास और उत्पादन करार में यथा उपबंधित, पश्चात्पूर्वी वृद्धि के साथ, यदि कोई हो, नियत रिजर्व मूल्य प्रति टन है; और

(iii) नीलामी के माध्यम से आबंटित एकीकृत खदान (खदानों) के मामले में, आरओएम लागत के प्रयोजन के लिए विनियम 36घ के अधीन पूंजी लागत और विनियम 36ङ के अधीन अतिरिक्त पूंजी व्यय को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) कोयला खदान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अधीन आबंटन के माध्यम से आबंटित एकीकृत खदान के मामले में कोयले की खदान की प्रचालन लागत निम्नानुसार आकलित की जाएगी:

आरओएम लागत = [(वार्षिक निष्कर्षण लागत / एटीक्यू) + खनन प्रभार] + (नियत रिज़र्व कीमत)

जहाँ,

- (i) वार्षिक निष्कर्षण लागत, इस विनियम के विनियम 36च के अनुसार यथा संगणित कोयले की निष्कर्षण लागत है;
- (ii) खनन प्रभार, खनन के लिए, जहाँ भी लागू हो, उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक को उत्पादन कंपनी द्वारा प्रदत्त कोयले का प्रति टन प्रभार है;
- (iii) नियत रिज़र्व मूल्य, कोयला खदान विकास और उत्पादन करार में यथा उपबंधित, पश्चात्वर्ती वृद्धि के साथ, यदि कोई हो, नियत रिज़र्व मूल्य प्रति टन है।

(3) लिग्नाइट के लिए एकीकृत खदान (खदानों) के मामले में, लिग्नाइट की खदान प्रचालन लागत निम्नानुसार आकलित की जाएगी:

आरओएम लागत = [(वार्षिक निष्कर्षण लागत / एटीक्यू) + (खनन प्रभार)]

जहाँ,

- (i) वार्षिक निष्कर्षण लागत, इस विनियम के विनियम 36च के अनुसार यथा संगणित कोयले की निष्कर्षण लागत है;
- (ii) खनन प्रभार, खनन के लिए, जहाँ भी लागू हो, उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक को उत्पादन कंपनी द्वारा प्रदत्त लिग्नाइट का प्रति टन प्रभार है;

(4) उत्पादन कंपनी, वार्षिक आधार पर कोयले या लिग्नाइट के निष्कर्षण के लिए खनन योजना का पालन करेगी और कोयला नियंत्रक या सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी:

परंतु यह कि खनन योजना से विचलन पर केवल तभी विचार किया जाएगा यदि ऐसे विचलन, कोयला नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किए गए हैं या सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षित खनन योजना अनुमोदित की गई है।

(5) कोयले और लिग्नाइट की खदान प्रचालन लागत रुपये प्रति टन के संदर्भ में आकलित की जाएगी।

**36ग. अतिरिक्त प्रभार:** (1) जहाँ उत्पादन कंपनी द्वारा क्रशिंग या परिवहन या हैंडलिंग या वाशिंग, किसी खदान विकासकर्ता और प्रचालक या खदान विकासकर्ता और प्रचालक के अलावा किसी ऐजेंसी को नियुक्त किए बिना किया जाता है, वहाँ अतिरिक्त प्रभारों का आकलन निम्नानुसार किया जाएगा:

- (i) क्रशिंग प्रभार = वार्षिक क्रशिंग लागत / मात्रा;
- (ii) परिवहन प्रभार = वार्षिक परिवहन लागत / मात्रा:

परंतु यह कि, यथा लागू, पृथक परिवहन प्रभारों को खदान से वाशरी सीमा या एकीकृत खदान (खदानों) से संबद्ध कोयला हैंडलिंग संयंत्र तक और वाशरी सीमा या

एकीकृत खदान (खदानों) से संबद्ध यथास्थिति, कोयला हैंडलिंग संयंत्र से आगे और लदाई बिंदु तक, माना जाएगा;

- (iii) हैंडलिंग प्रभार = वार्षिक हैंडलिंग लागत / मात्रा; और
- (iv) वाशिंग प्रभार = वार्षिक वाशिंग लागत / मात्रा।

जहाँ,

(क) वार्षिक क्रशिंग लागत, वार्षिक परिवहन लागत, वार्षिक हैंडलिंग लागत और वार्षिक वाशिंग लागत का आकलन निम्नलिखित अल्प घटकों के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए उत्पादन कंपनी द्वारा पूंजी लागत पृथक् रूप से जमा की जाएगी:

- (i) अवक्षयण;
- (ii) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;
- (iii) ऋण पर ब्याज;
- (iv) इक्विटी पर रिटर्न;
- (v) प्रचालन और रखरखाव व्यय, खनन प्रभार को छोड़कर;
- (vi) सांविधिक प्रभार, यदि लागू हो।

(ख) मात्रा, कोयले या लिग्नाइट की टन में मात्रा जो कि संपरीक्षक द्वारा वर्ष के दौरान विधिवत रूप से सत्यापित, यथास्थिति, क्रश की गई या पहुँचाई गई या हँडल की गई या वाश की गई, होगी।

(2) जहाँ क्रशिंग, परिवहन, हँडलिंग या वाशिंग, उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक के दायरे के भीतर हैं, वहाँ किसी भी अतिरिक्त प्रभार को स्वीकृत नहीं किया जाएगा, चूंकि उन्हें खदान विकासकर्ता और प्रचालक के खनन प्रभार के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

(3) जहाँ क्रशिंग, परिवहन, हँडलिंग या वाशिंग, उत्पादन कंपनी द्वारा खदान विकासकर्ता और प्रचालक के अलावा किसी एजेंसी को नियुक्त करके किया गया है, वहाँ ऐसी एजेंसियों के वार्षिक प्रभारों को प्रचालन और रखरखाव व्यय का हिस्सा माना जाएगा, परंतु यह कि इन प्रभारों को पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से खोजा गया हो।

(4) कोल इंडिया लिमिटेड या समान रूप से स्थित कोयला खदानों के प्रभारों या किसी अन्य संदर्भित प्रभारों को ध्यान में रखते हुए, क्रशिंग प्रभारों, परिवहन प्रभारों, हँडलिंग प्रभारों और वाशिंग प्रभारों को आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के बाद स्वीकृत किया जाएगा।

(5) क्रशिंग प्रभारों, परिवहन प्रभारों, हँडलिंग प्रभारों और वाशिंग प्रभारों को रुपये प्रति टन के अनुसार आकलित किया जाएगा।

**36घ. पूंजी लागत:** (1) पूंजी लागत का आंकलन करने के लिए, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक एकीकृत खदान (खदानों) के विकास के लिए संपरीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित आईडीसी और आईईडीसी सहित व्यय पर विचार किया जाएगा।

(2) पूंजी व्यय को आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के बाद स्वीकृत किया जाएगा।

(3) क्रशिंग, परिवहन, हँडलिंग, वाशिंग और खनन प्रचालनों के लिए आवश्यक अन्य खनन गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे पर किए गए पूंजी व्यय का आकलन, इस विनियम के अनुसार पृथक् रूप से किया जाएगा:

परंतु यह कि जहाँ क्रशिंग, परिवहन, हँडलिंग या वाशिंग, उत्पादन कंपनी द्वारा किया गया है, वहाँ इन अल्प घटकों के बुनियादी ढांचे पर किए गए व्यय को पूंजीकृत किया जाएगा;

परंतु यह और कि जहाँ खदान का विकास और प्रचालन, उत्पादन कंपनी द्वारा खदान विकासकर्ता और प्रचालक या खदान विकासकर्ता और प्रचालक के अलावा किसी एजेंसी की नियुक्ति द्वारा क्रशिंग, परिवहन, हँडलिंग या वाशिंग के किसी घटक के साथ या बिना किया गया है, तो खदान विकासकर्ता और प्रचालक या ऐसी एजेंसी द्वारा किए गए पूंजी व्यय को उत्पादन कंपनी द्वारा पूंजीकृत नहीं किया जाएगा और उस पर इनपुट मूल्य के अवधारण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(4) पूंजी व्यय का अवधारण खनन योजना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, खदान समापन योजना, लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट और ऐसे अन्य विवरणों, जैसा भी आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाए, पर विचार करते हुए किया जाएगा परंतु जो इन तक सीमित नहीं होंगे।

(5) उस एकीकृत खदान (खदानों) के मामले में, जिसने 1.4.2019 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख घोषित की है, 31.3.2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी व्यय, इनपुट मूल्य की संगणना के लिए आधार होगा।

**36ङ. अतिरिक्त पूंजी व्यय:** (1) एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद और पीक दर क्षमता प्राप्त करने की तारीख तक किए गए या किए जाने वाले अनुमानित व्यय को, आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के अध्यक्षीन स्वीकृत किया जाएगा और निम्नलिखित आधारों पर खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट वर्ष की वार्षिक लक्ष्य मात्रा या उस वर्ष में वास्तविक निष्कर्षण, जो भी अधिक हो, के अनुरूप अतिरिक्त पूंजी व्यय के रूप में टैरिफ अवधि के संबंधित वर्ष में पूंजीकृत किया जाएगा:

(क) खनन योजना के अनुसार गतिविधियों पर व्यय;

(ख) निष्पादन के लिए आस्थगित कार्यों और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व निष्पादित कार्यों हेतु अभिज्ञात मानी गई अनुन्मोचित दायित्वों के लिए व्यय;

(ग) किसी सांविधिक प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों या आदेशों के अनुपालन के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों हेतु व्यय;

(घ) किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री या माध्यस्थम् के पंचाट के अनुपालन से उद्भूत दायित्व;

(ङ) खनन योजना के अनुसार भूमि के उपापन और विकास के लिए व्यय;

(च) अतिरिक्त भारी भू-संपर्क चल मशीनरी के उपयोगी जीवन के समापन पर, उसके प्रतिस्थापन के लिए उपापन हेतु व्यय; और



(छ) कानून में परिवर्तन या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण दायित्व:

परंतु यह कि किसी आस्ति के प्रतिस्थापन के मामले में अतिरिक्त पूंजीकरण का आंकलन, कुल नियत आस्तियों और पूंजीकरण विहीनता के कारण प्रतिस्थापित आस्तियों के संचयी अवक्षयण के समायोजन के बाद किया जाएगा:

परंतु यह और कि उत्पादन कंपनी भारी भू-संपर्क चल मशीनरी जैसे भारी खनन उपकरण के उपापन और प्रतिस्थापन के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगी और उसे फायदाग्राहियों के साथ साझा करेगी और अपनी याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगी।

(2) एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में, पीक दर क्षमता प्राप्त करने की तारीख के बाद किए गए या किए जाने वाले अनुमानित व्यय को आयोग द्वारा प्रज्ञावानपूर्ण जांच के अध्यक्षीन स्वीकृत किया जाएगा और निम्नलिखित आधारों पर खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित वर्षों के वार्षिक लक्ष्य मात्रा के अनुरूप अतिरिक्त पूंजी व्यय के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा:

(क) खनन योजना के अनुसार गतिविधियों पर व्यय, यदि कोई हो;

(ख) किसी सांविधिक प्राधिकरण के दिशानिर्देशों या आदेशों के पालन के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों हेतु व्यय;

(ग) आदेश या किसी न्यायालय की डिक्री या माध्यस्थम् के पंचाट के अनुपालन से उद्भूत दायित्व;

(घ) खनन योजना के अनुसार भूमि के उपापन और विकास के लिए व्यय;

(ङ) विधि में परिवर्तन या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण दायित्व:

परंतु यह कि किसी आस्ति के प्रतिस्थापन के मामले में अतिरिक्त पूंजीकरण का आंकलन, कुल नियत आस्तियों, संचयी अवक्षयण और पूंजीकरण विहीनता के कारण प्रतिस्थापित आस्तियों के ऋण के संचयी पुनर्भुगतान के समायोजन के बाद किया जाएगा।

(3) इस विनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित आधारों पर, व्यय को अतिरिक्त पूंजी व्यय

के रूप में नहीं माना जाएगा:

क) किया गया व्यय परंतु पूंजीकृत नहीं चूंकि आस्तियों को सेवा में नहीं लाया गया (चालू पूंजी संकर्म);

ख) खदान समापन व्यय;

ग) खनन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाले कार्यों पर व्यय, जब तक कि इस विनियम के खंड (2) के उप-खंड (ङ) या खंड (1) के उप-खंड (छ) के अंतर्गत शामिल न किया गया हो;

घ) उपयोगी जीवन के पूरा होने से आस्तियों के अप्रचलित होने के कारण या प्रौद्योगिकी के अप्रचलित होने के कारण प्रतिस्थापन पर व्यय, यदि ऐसी आस्तियों की मूल लागत को कुल नियत आस्तियों से पूंजीकरण विहीन नहीं किया गया है।

**36च. वार्षिक निष्कर्षण लागत:** एकीकृत खदान (खदानों) की वार्षिक निष्कर्षण लागत में निम्नलिखित संघटक शामिल होंगे:

(i) अवक्षयण;

(ii) ऋण पर ब्याज;

(iii) इक्विटी पर रिटर्न;

(iv) प्रचालन तथा रखरखाव खर्च, खनन प्रभार को छोड़कर;

(v) कार्य पूंजी पर ब्याज;

(vi) खदान समापन व्यय, यदि खनन प्रभार में शामिल नहीं किया गया; और

(vii) सांविधिक प्रभार, यदि लागू हो।

**36छ. पूंजीगत संरचना, इक्विटी पर रिटर्न और ऋण पर ब्याज:** (1) एकीकृत खदान (खदानों) के लिए, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और पीक दर क्षमता प्राप्त करने की तारीख को, ऋण-इक्विटी अनुपात पर इस विनियम के विनियम 18 के खंड(1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ढंग से विचार किया जाएगा:

परंतु यह कि लिग्नाइट के संबंध में, 1.4.2019 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख वाली एकीकृत खदान (खदानों) के लिए, 31.3.2019 को समाप्त अवधि के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत ऋण-इक्विटी अनुपात, इनपुट मूल्य की संगणना के लिए आधार होगा।

(2) एकीकृत खदान (खदानों) के लिए, इस विनियम के अधीन आयोग द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त पूंजी व्यय के लिए ऋण-इक्विटी अनुपात पर, इस विनियम के खंड (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ढंग से विचार किया जाएगा।

(3) इक्विटी पर रिटर्न को इस विनियम के खंड (1) के अधीन प्राप्त इक्विटी आधार पर रूपये के संदर्भ में 14% की आधार दर पर संगणित किया जाएगा।

(4) इस विनियम के खंड (3) के अनुसार इक्विटी पर रिटर्न की आधार दर को इस विनियम के विनियम 31 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ढंग से संगणित प्रभावी कर दर के साथ सकल किया जाएगा।

(5) इस विनियम के खंड (1) के अधीन अवधारित ऋण पर ब्याज, मानकीय ऋण सहित, यदि कोई हो, का आंकलन, इस विनियम के विनियम 32 के खंड (2) से खंड (7) के अनुसार वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर परिकलित भारित औसत ब्याज की दर को ध्यान में रखते हुए, किया जाएगा।

**36ज. अवक्षयण:** (1) एकीकृत खदान (खदानों) के मामले में अवक्षयण, स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से संगणित किया जाएगा:

परंतु यह कि लिग्नाइट की एकीकृत खदान (खदानों), जिन्हें 31.3.2019 को या इससे पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया गया है, के संबंध में स्वीकृत अवक्षयण क्रिया पद्धति का उपयोग, लिग्नाइट के इनपुट मूल्य के अवधारण के लिए किया जाना जारी रहेगा।

(2) अवक्षयण के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार, आयोग द्वारा स्वीकृत आस्ति की पूंजी लागत होगा:

परंतु यह कि,

- (i) अनुदान से खरीदी गई फ्रीहोल्ड भूमि या आस्तियों को अवक्षणीय आस्तियों के रूप में नहीं माना जाएगा और उनकी लागत को आस्तियों के अवक्षणीय मूल्य की संगणना करते समय पूंजी लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;
- (ii) जहाँ फ्रीहोल्ड भूमि का आबंटन सशर्त है और लौटाई जानी अपेक्षित है, वहाँ ऐसी भूमि की लागत, आयोग द्वारा प्रज्ञावानपूर्ण जांच के अध्यक्षीन, अवक्षयण के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार का हिस्सा होगी; और
- (iii) पट्टे पर ली गई भूमि, पट्टे की अवधि या एकीकृत खदान (खदानों) के शेष जीवन, जो भी कम हो, पर परिशोधित की जाएगी।

(3) किसी आस्ति का निस्तारण मूल्य, आस्ति की पूंजी लागत के 5% के रूप में माना जाएगा:

परंतु यह कि निस्तारण मूल्य निम्नलिखित प्रकार से होगा:

- (i) सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण और सॉफ्टवेयर के लिए शून्य;
- (ii) शून्य या भूमि के लिए उत्पादन कंपनी द्वारा राज्य सरकार के साथ यथा सहमति; और
- (iii) विशेषीकृत खनन उपकरण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित।

(4) एकीकृत खदान (खदानों) के मामले में, अवक्षयण का आकलन वार्षिक तौर पर, अवक्षयण दरों का उपयोग करते हुए या इस विनियम के परिशिष्ट 1क में विनिर्दिष्ट प्रत्याशित उपयोगी जीवन के आधार पर किया जाएगा:

परंतु यह कि विशेषीकृत खनन उपकरण का अवक्षयण, उपयोगी जीवन के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित अवक्षयण दर पर किया जाएगा।

**36झ. प्रचालन तथा रखरखाव खर्च:** (1) एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में, प्रचालन और रखरखाव खर्चों को निम्नानुसार स्वीकृति दी जाएगी:

- (क) 31 मार्च, 2024 को समाप्त टैरिफ अवधि के लिए, कोयले की एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में प्रचालन और रखरखाव खर्चों को, आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के अध्यक्षीन, टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित प्रचालन और रखरखाव खर्चों के आधार पर अनुमति दी जाएगी;

परंतु यह कि इस खंड के अधीन स्वीकृत प्रचालन और रखरखाव खर्चों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त टैरिफ अवधि के लिए वास्तविक खर्चों के आधार पर टूट अप किया जाएगा।

- (ख) 31 मार्च, 2019 को या इसके पूर्व प्रारंभ लिग्नाइट की एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त टैरिफ अवधि के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्चों का आकलन, वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग द्वारा यथा स्वीकृत प्रचालन और रखरखाव खर्चों के आधार पर किया जाएगा और इसमें 3.5% प्रतिवर्ष की दर पर वृद्धि की जाएगी;

(ग) 31 मार्च, 2019 के बाद प्रारंभ लिग्नाइट की एकीकृत खदान (खदानों) के संबंध में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त टैरिफ अवधि के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्चों को, आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के अध्यक्षीन, टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित प्रचालन और रखरखाव खर्चों के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा;

परंतु यह कि इस खंड के अधीन प्रचालन और रखरखाव खर्चों को, 31 मार्च, 2024 को समाप्त टैरिफ अवधि के लिए, वास्तविक खर्चों के आधार पर टूट अप किया जाएगा।

(2) जहाँ एकीकृत खदान (खदानों) का विकास और प्रचालन, उत्पादन कंपनी द्वारा खदान विकासकर्ता और प्रचालक की नियुक्ति करके किया गया है, वहाँ ऐसे खदान विकासकर्ता और प्रचालक के खनन प्रभार, इस विनियम के खंड (1) के अधीन प्रचालन और रखरखाव खर्चों में शामिल नहीं होंगे;

(3) जहाँ क्रशिंग या परिवहन या हैंडलिंग या वाशिंग या उसके किसी संयोजन के लिए, उत्पादन कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से खदान विकासकर्ता और प्रचालक के अलावा कोई एजेंसी नियुक्त की जाती है, वहाँ

ऐसी एजेंसी के वार्षिक प्रभारों को, आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के अध्यक्षीन, इस विनियम के खंड (1) के अधीन प्रचालन और रखरखाव खर्चों का हिस्सा माना जाएगा।

**36अ. कार्य पूंजी पर ब्याज:** (1) कोयले की एकीकृत खदान (खदानों) की कार्य पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) सुसंगत वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्य मात्रा के तदनु रूप, उत्पादन के 7 दिनों के लिए कोयला भंडार की इनुपुट लागत;
- (ii) उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक के खनन प्रभार और खदान विकासकर्ता और प्रचालक के अलावा किसी एजेंसी के वार्षिक प्रभारों को छोड़कर, प्रचालन और रखरखाव खर्चों के 15% पर विस्फोटक, स्नेहक और ईंधन सहित स्टोर और पुर्जों की खपत;
- (iii) उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक के खनन प्रभार और खदान विकासकर्ता और प्रचालक के अलावा किसी एजेंसी के वार्षिक प्रभारों को छोड़कर, एक मास के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्चें।

(2) लिग्नाइट की एकीकृत खदान (खदानों) की कार्य पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्य मात्रा के तदनु रूप, उत्पादन के 7 दिनों के लिए लिग्नाइट भंडार की इनुपुट लागत;
- (ii) उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक के खनन प्रभार और खदान विकासकर्ता और प्रचालक के अलावा किसी एजेंसी के वार्षिक प्रभारों को छोड़कर, प्रचालन और रखरखाव खर्चों के 20% पर विस्फोटक, स्नेहक और ईंधन सहित स्टोर और पुर्जों की खपत;
- (iii) उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक के खनन प्रभार और खदान विकासकर्ता और प्रचालक के अलावा किसी एजेंसी के वार्षिक प्रभारों को छोड़कर, एक मास के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्चें।

(3) कार्य पूंजी पर ब्याज की दर और भुगतान का अवधारण, इस विनियम के विनियम 34 के खंड (3) और खंड (4) के अनुसार किया जाएगा।

**36ट. खदान समापन खर्च:** (1) जहाँ खदान समापन, उत्पादन कंपनी द्वारा किया गया है, वहाँ उक्त जमा पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, के समायोजन के बाद, खनन योजना के अनुसार एस्करो खाते में जमा की गई राशि को, खदान समापन खर्चों के रूप में स्वीकृत किया जाएगा:

परंतु यह कि,

क) एकीकृत खदान (खदानों) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व, खनन योजना के अनुसार एस्करो खाते में जमा की गई राशि पृथक् रूप से उपदर्शित की जाएगी और उधार दर से जुड़ी वार्षिकी के रूप में एकीकृत खदान (खदानों) के उपयोगी जीवन में वसूल की जाएगी;

ख) खनन योजना के अनुसार एस्करो खाते में जमा की गई राशि, या खदान समापन के प्रति किया गया कोई व्यय, इनपुट मूल्य की संगणना के लिए पूंजी लागत में शामिल नहीं किया जाएगा;

ग) वर्ष 2019-24 की टैरिफ अवधि के दौरान, जहाँ खनन समापन के लिए किया गया व्यय, एस्करो खाते से प्राप्त प्रतिपूर्ति से कम होता है या अधिक होता है, वहाँ उस कमी या अधिकता को समायोजन के लिए बाद के वर्षों तक आगे ले जाया जाएगा।

(2) खदान समापन के लिए राशि, खनन योजना के अनुसार एस्करो खाते में जमा की जाएगी और टैरिफ अवधि के किसी भी वर्ष के दौरान, खदान समापन के प्रति किए गए व्यय का विचार किए बिना इनपुट मूल्य के भाग के रूप में वसूल की जाएगी।

(3) जहाँ खदान समापन, उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक के कार्य-क्षेत्र के भीतर है और खदान समापन व्यय, खदान विकासकर्ता और प्रचालक के खनन प्रभार का भाग है, वहाँ खदान समापन व्यय को खनन प्रभारों में से पूरा किया जाएगा और उत्पादन कंपनी के लिए कोई भी खदान समापन व्यय पृथक् रूप से स्वीकृत नहीं होंगे:

परंतु यह कि,

क) इनपुट मूल्य की संगणना में, खदान विकासकर्ता और प्रचालक द्वारा या उत्पादन कंपनी द्वारा एस्करो खाते में जमा की गई राशि और खदान समापन हेतु किए गए व्यय के लिए एस्करो खाते से प्राप्त किसी राशि पर विचार नहीं किया जाएगा; और

ख) इस विनियम के विनियम 32 में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार, वास्तविक ऋण पोर्टफोलियों के आधार पर संगणित ब्याज की भारित औसत दर को ध्यान में रखते हुए, आकलित उधार लागत, और वर्ष में एस्करो खाते में जमा राशि और एस्करो खाते से प्राप्त ब्याज के अंतर को, मामला—दर—मामला आधार पर, खदान समापन व्यय के भाग के रूप में, संबंधित वर्ष के कोयले या लिग्नाइट की इनपुट मूल्य में समायोजित किया जाएगा।

(4) जहाँ खदान समापन, एकीकृत खदान (खदानों) के उपयोगी जीवन के केवल एक हिस्से के लिए, उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक के कार्य-क्षेत्र के भीतर है, और शेष उपयोगी जीवन के लिए खदान समापन उत्पादन कंपनी करती है, वहाँ उत्पादन कंपनी द्वारा अवधि के दौरान किए गए खदान समापन का उपचार, इस विनियम के खंड(1) के अनुसार किया जाएगा और खदान विकासकर्ता और प्रचालक द्वारा अवधि के दौरान किए गए खदान समापन का निर्धारण, इस विनियम के खंड (3) के अनुसार किया जाएगा:

परंतु यह कि एकीकृत खदान (खदानों) के उपयोगी जीवन के अंत में खदान समापन के निर्धारण का निर्णय, आयोग द्वारा मामला—दर—मामला आधार पर किया जाएगा।

(5) इस विनियम के अनुसार आकलित खदान समापन व्यय, कोयला खदान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अधीन नीलामी के माध्यम से आबटित एकीकृत खदान (खदानों) के मामले में लागू नहीं होगा।

**36ठ. इनपुट मूल्य का अवधारण:** (1) कोयले या लिग्नाइट के इनपुट मूल्य का अवधारण निम्नानुसार किया जाएगा:

$$\text{इनपुट मूल्य} = [\text{आरओएम लागत} + \text{अतिरिक्त प्रभार}]$$

(2) अधिभार निष्कासन में कमी, जीसीवी समायोजन और गैर-टैरिफ आय, यदि कोई हो, के कारण समायोजन के कारण उत्पन्न ऋण से, इस विनियम में विनिर्दिष्ट ढंग से पृथक् रूप से निपटा जाएगा।

(3) यथा लागू सांविधिक प्रभारों की अनुमति होगी।

**36ड. इनपुट प्रभारों की वसूली:** (1) कोयले या लिग्नाइट के इनपुट प्रभारों की वसूली निम्नानुसार होगी:

$$\text{इनपुट प्रभार} = [\text{इनपुट मूल्य} \times \text{आपूर्तित कोयले या लिग्नाइट की मात्रा}] + \text{यथा लागू सांविधिक प्रभार};$$

परंतु यह कि जहाँ किसी माह में, एकीकृत खदान (खदानों) से कोयले के इनपुट मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर, कोयले की अनुरूप श्रेणी के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड के अधिसूचित मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर से 20% अधिक होती है, वहाँ उत्पादन कंपनी द्वारा फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) की पूर्व सहमति लेना अपेक्षित होगा:

परंतु यह और कि जहाँ फायदाग्राहियों की ऐसी सहमति नहीं है, वहाँ ऐसी एकीकृत खदान (खदानों) से कोयले का इनपुट मूल्य इस प्रकार निर्धारित होगा कि किसी माह में, एकीकृत खदान (खदानों) से कोयले के इनपुट मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर, कोयले की अनुरूप श्रेणी के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड के अधिसूचित मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर से 20% से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह भी कि कोयले के इनपुट मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर, विद्युत क्रय करार की अवधि के दौरान, उस ऊर्जा प्रभार दर से अधिक नहीं होगी जो कि विद्यमान विद्युत क्रय करार के निबंधन व शर्तों के अनुसार प्राप्त होती।

(2) उत्पादन कंपनी प्रत्येक माह के लिए, एकीकृत खदान (खदानों) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कोयले के अनुरूप श्रेणी के लिए, कोयले के इनपुट मूल्य और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिसूचित मूल्य पर आधारित तुलनात्मक ऊर्जा प्रभार दर का आकलन करेगी और इसे फायदाग्राहियों के साथ साझा करेगी।

**36ढ. अधिभार निष्कासन में कमी के कारण समायोजन (ओबी समायोजन):** (1) उत्पादन कंपनी, खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट अधिभार को निष्कासित करेगी।

(2) किसी वर्ष के दौरान, अधिभार निष्कासन में कमी के मामले में, उत्पादन कंपनी को, अधिभार निष्कासन में अधिकता, यदि कोई हो, के विरुद्ध ऐसी कमी को पश्चात्पूर्ती तीन वर्षों के दौरान समायोजित करने की अनुमति होगी।

(3) किसी वर्ष के दौरान, अधिभार निष्कासन में अधिकता के मामले में, उत्पादन कंपनी को, कमी, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन के लिए ऐसी अधिकता को पश्चात्पूर्ती तीन वर्षों के दौरान आगे ले जाने की अनुमति होगी।

(4) जहाँ किसी वर्ष के अधिभार निष्कासन में कमी को उत्पादन कंपनी द्वारा इस विनियम के खंड (2) के अनुसार ठीक नहीं किया जाता है, तो उस वर्ष के लिए अधिभार निष्कासन (ओबी समायोजन) की कमी के कारण समायोजन निम्नानुसार किया जाएगा:

ओबी समायोजन = [वर्ष के दौरान अधिभार निष्कासन में कमी के लिए समायोजन का कारक] x [वर्ष के दौरान खनन प्रभार + वर्ष के दौरान प्रचालन और रखरखाव व्यय]

जहाँ,

- i) वर्ष के दौरान, अधिभार निष्कासन में कमी के लिए समायोजन के कारक को निम्नानुसार आकलित किया जाएगा:

$$\left[ \frac{(\text{वर्ष के दौरान निष्कर्षित कोयले या लिग्नाइट की वास्तविक मात्रा} \times \text{खनन योजना के अनुसार वार्षिक स्ट्रिपिंग अनुपात}) - (\text{वर्ष के दौरान निष्कासित अधिभार की वास्तविक मात्रा} / \text{खनन योजना के अनुसार वार्षिक स्ट्रिपिंग अनुपात})}{(\text{वार्षिक लक्ष्य की मात्रा})} \right]$$

- ii) वार्षिक स्ट्रिपिंग अनुपात, खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट कोयले या लिग्नाइट के एक यूनिट के लिए निष्कासित की जाने वाले अधिभार की मात्रा का अनुपात है ।
- iii) खनन प्रभार, उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक को खनन, जहाँ भी लागू हो, के लिए उत्पादन कंपनी द्वारा प्रदत्त कोयले या लिग्नाइट का प्रति टन प्रभार है ।
- iv) खनन प्रभार और प्रचालन और रखरखाव व्यय, वार्षिक लक्ष्य की मात्रा के तदनु रूप रूप प्रति टन में होंगे ।

(5) अधिभार निष्कासन में कमी के कारण समायोजन से संबंधित इस विनियम के उपबंध, कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अधीन नीलामी के माध्यम से आबंटित एकीकृत खदान (खदानों) के मामले में लागू नहीं होंगे ।

**36ग. जीसीवी में कमी के कारण समायोजन (जीसीवी समायोजन):** (1) यदि किसी वर्ष में एकीकृत खदान (खदानों) से निष्कर्षित कोयले की भारित औसत जीसीवी, उस खदान (खदानों) के लिए कोयले की घोषित जीसीवी से अधिक होती है, तो जीसीवी समायोजन की अनुमति नहीं होगी ।

(2) यदि किसी वर्ष में एकीकृत खदान (खदानों) से निष्कर्षित कोयले का भारित औसत जीसीवी, उस खदान (खदानों) के लिए कोयले की घोषित जीसीवी से कम होता है, तो उस वर्ष में जीसीवी समायोजन निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) जहाँ एकीकृत खदान (खदानों) का आबंटन कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अधीन नीलामी के माध्यम से किया गया है:

$$\text{जीसीवी समायोजन} = (\text{कोयले का कोटेड मूल्य} + \text{नियत रिजर्व मूल्य}) \times \left[ \frac{(\text{कोयले की घोषित जीसीवी} - \text{वर्ष में निष्कर्षित कोयले का भारित औसत जीसीवी})}{(\text{कोयले की घोषित जीसीवी})} \right]$$

जहाँ,

- i) कोयले का कोटेड मूल्य, कोयला खदान विकास और उत्पादन करार में यथा उपबंधित पश्चात्वर्ती वृद्धि, यदि कोई हो, के साथ संबंधित कोयला ब्लॉक या खदान की बाबत कोयले का अंतिम मूल्य प्रस्ताव है:

परंतु यह कि उत्पादन कंपनी द्वारा नीलामी में कोट किए गए अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा; और

- ii) कोयले की घोषित जीसीवी, नीलामी में यथा विनिर्दिष्ट या कोट की गई कोयले की जीसीवी होगी ।

(ख) जहाँ एकीकृत खदान (खदानों), कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अधीन आबंटन के माध्यम से आबंटित हैं:

$$\text{जीसीवी समायोजन} = \left[ \frac{(\text{वार्षिक निष्कर्षण लागत} / \text{एटीक्यू}) + (\text{खनन प्रभार})}{(\text{कोयले की घोषित जीसीवी} - \text{वर्ष में निष्कर्षित कोयले का भारित औसत जीसीवी})} \right] \times \left[ \frac{(\text{कोयले की घोषित जीसीवी} - \text{वर्ष में निष्कर्षित कोयले का भारित औसत जीसीवी})}{(\text{कोयले की घोषित जीसीवी})} \right]$$

जहाँ,

- i) वार्षिक निष्कर्षण लागत, इस विनियम के विनियम 36च के अनुसार यथा संगणित कोयले की निष्कर्षण की लागत है;
- ii) खनन प्रभार, उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक को खनन, जहाँ भी लागू हो, के लिए उत्पादन कंपनी द्वारा प्रदत्त कोयले या लिग्नाइट का प्रति टन प्रभार है ।
- iii) कोयले की घोषित जीसीवी, खनन योजना के अनुसार औसत जीसीवी या कोयला नियंत्रक द्वारा यथा अनुमोदित होगी ।

**36त. गैर-टैरिफ आय के कारण समायोजन (एनटीआई समायोजन):** (1) किसी वर्ष के लिए गैर-टैरिफ आय, जैसे कि कोयले की एकीकृत खदान के मामले में वाशरी रेजेक्ट्स की बिक्री से आय और कोल इंडिया लिमिटेड को कोयले की आपूर्ति

से या कोयला खदान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अधीन यथा स्वीकृत कोयले की मर्चेट बिक्री से लाभ, यदि कोई हो, के कारण समायोजन (एनटीआई समायोजन) निम्नानुसार किया जाएगा:

एनटीआई समायोजन = (वर्ष के दौरान सभी गैर-टैरिफ आय) / (वर्ष के दौरान निष्कर्षित कोयले या लिग्नाइट की वास्तविक मात्रा)

(2) इस विनियम के अनुसार आकलित गैर-टैरिफ आय के कारण समायोजन, कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अधीन नीलामी के माध्यम से आबंटित एकीकृत खदान (खदानों) के मामले में लागू नहीं होगा।

**36थ. ऋण समायोजन नोट:** (1) किसी वर्ष के लिए ओबी समायोजन, जीसीवी समायोजन और एनटीआई समायोजन के कारण उत्पन्न ऋण का निपटान, ऋण समायोजन नोट के माध्यम से किया जाएगा।

(2) उस वर्ष के लिए, यथास्थिति, ओबी समायोजन, जीसीवी समायोजन या एनटीआई समायोजन, के कारण ऋण समायोजन नोट, विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोगकर्ता उत्पादन केन्द्रों के पक्ष में निम्नानुसार जारी किया जाएगा:

- (i) वर्ष के लिए ओबी समायोजन X उस वर्ष में आपूर्ति की गई कोयले या लिग्नाइट की मात्रा;
- (ii) वर्ष के लिए जीसीवी समायोजन X उस वर्ष में आपूर्ति की गई कोयले या लिग्नाइट की मात्रा; और
- (iii) वर्ष के लिए एनटीआई समायोजन X उस वर्ष में आपूर्ति की गई कोयले या लिग्नाइट की मात्रा।

(3) ऋण समायोजन नोट में राशि को, ऋण समायोजन नोट के जारी होने की तारीख के बाद आपूर्ति की गई कोयले या लिग्नाइट के प्रभारों के मद्दे समायोजित किया जाएगा। एकीकृत खदान (खदानों) ऐसे समायोजन की वार्षिक सामंजस्य विवरण तैयार करेगी और उसे सभी अंतिम उपयोगकर्ता संयंत्रों को प्रस्तुत करेगी और अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगी।

**36द. गुणवत्ता मापन:** एकीकृत खदान (खदानों) से आपूर्ति कोयले या लिग्नाइट की गुणवत्ता का मापन, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों और क्रियाविधि के अनुसार तीसरे पक्ष के नमूने के माध्यम से लदाई बिंदु पर किया जाएगा और कोयले की गुणवत्ता के ऐसे मापन के अभिलेख लाभार्थियों को मांग करने पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

**36ध. विशेष उपबंध:** इस विनियम के अध्याय 5 से 8 के उपबंध, अध्याय-9 में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित या संदर्भित सीमा के सिवाय, एकीकृत खदान (खदानों) के मामले में लागू नहीं होंगे:

परंतु यह कि एकीकृत खदान (खदानों) से कोयले या लिग्नाइट के इनुपट मूल्य के अवधारण के लिए, आवश्यक वित्तीय मानदंड, यदि अध्याय-9 में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित या संदर्भित नहीं हैं, तो इन्हें कोयले या लिग्नाइट आधारित उत्पादन स्टेशनों पर यथा लागू इस विनियम के उपबंधों के अनुसार माना जाएगा।"

## 17. मूल विनियम के विनियम 59 का संशोधन:

17.1 विद्यमान विनियम 59 को विनियम 59 के खंड (1) के रूप में माना जाएगा और मूल विनियम के विनियम 59 के खंड (1) के बाद, एक नया खंड निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(2) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, फायदाग्राही या दीर्घकालिक ग्राहक द्वारा देय प्रभारों को, सर्वप्रथम बकाया प्रभारों के विलंब से संदाय पर अधिभारों के प्रति और उसके बाद, सबसे लंबे समय तक अतिदेय बिल से आरंभ करते हुए यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, के मासिक प्रभारों के लिए समायोजित किया जाएगा।"

## 18. मूल विनियम के विनियम 66 का संशोधन:

18.1 मूल विनियम के विनियम 66 के खंड (5) के बाद, एक नया खंड, अर्थात् खंड (6) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(6) जहाँ उत्पादन कंपनी या उसके फायदाग्राही या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उसके दीर्घकालिक ग्राहक, इस विनियम के खंड (1) से (3) के संदर्भ में, किसी विशेष उत्पादन केन्द्र या पारेषण प्रणाली के संबंध में कम टैरिफ प्रभारित करने के लिए परस्पर सहमत हैं, वहाँ उक्त सहमत टैरिफ को, इस विनियम के अनुसार, पूंजी लागत और अतिरिक्त पूंजी व्यय के आधार पर टूटिंग अप के समय, ऊर्ध्वमुखी पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि जहाँ टूट अप किया गया टैरिफ, सहमत टैरिफ से कम है, वहाँ यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी केवल ऐसे टूट-अप किए गए टैरिफ को प्रभारित करेगा:

परंतु यह और कि सहमत टैरिफ और टूट-अप किए गए टैरिफ के अंतर को, इस विनियम के विनियम 13 के खंड (4) के अनुसार पक्षकारों के बीच व्यवस्थापित किया जाएगा।"

सनोज कुमार झा, सचिव

नोट: (1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तों) विनियम, 2019 दिनांक 3 मई, 2019 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III—खंड 4, सं.144 में प्रकाशित किए गए थे।

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तों) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 दिनांक 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III—खंड 4, सं.53 में प्रकाशित किए गए थे।

**परिशिष्ट Iक**  
**(एकीकृत खदान के लिए अवक्षयण अनुसूची)**

एकीकृत खदान के लिए मूल्यह्रास अनुसूची		
क्रम सं.	आस्तित्व विवरण	जीवन वर्षों में
1	पूर्णस्वामित्व वाली भूमि@	999
2	पट्टाधृत भूमि	&&&
3	अस्थायी उन्निर्माण	1
4	एचईएमएम <sup>§</sup>	8
5	रोड़, पुल, पुलिया, हैलिपैड	25
6	प्रमुख संयंत्र बिल्डिंग	30
7	एचईएमएम के अलावा मशीनरी	15
8	जल प्रदाय, जलनिकास और सीवरेज	15
9	फर्नीचर एवं फिक्सचर	15
10	कंप्यूटर के अलावा कार्यालय उपकरण	15
11	हॉस्पिटल उपस्कर	15
12	ईडीपी, डब्ल्यू मशीनें, सैटकॉम एवं संचार उपस्कर	15
13	विद्युतीय संस्थापनाएं	15
14	स्व-चालित वाहन	10
15	कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर	3
16	प्रयोगशाला एवं कार्यशाला उपस्कर	15
17	खदान विकास व्यय और मूल्यांकन और अन्वेषण <sup>#</sup>	20 या खदान का जीवन, जो भी निम्नतर हो
18	मूल्यांकन और अन्वेषण <sup>#</sup>	20 या खदान का जीवन, जो भी निम्नतर हो
19	अन्य जो उपर्युक्त में कवर नहीं हैं	15

*	निम्नलिखित आस्तियों के लिए सैल्वेज मूल्य 5% के अलावा होगी – क. आईटी उपस्कर, सॉफ्टवेयर शून्य (0) ख. भूमि के मामले में, शून्य या जो भी राज्य सरकार सहमत हो ग. विशेषीकृत खनन उपस्कर के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट घ. खदान विकास व्यय, मूल्यांकन और अन्वेषण शून्य (0)
@	याचिकाकर्ता द्वारा निवेदन यदि पूर्णस्वामित्व वाली भूमि, वापसी के लिए किन्हीं शर्तों से जुड़ी है। यदि हाँ, तो शर्तों और परिस्थितियों को प्रस्तुत करना जिनके बाद भूमि को वापस किया जाना है। ऐसे मामले में, विवरणों के आधार पर भूमि का अवक्षयण किया जाएगा।
&&&	याचिकाकर्ता द्वारा पट्टा-करार / खदान का जीवन / उपयोग करने का अधिकार की अवधि में से निम्नतम का दाखिल किया जाना।

§	प्रत्येक एचईएमएम की लागत के साथ व्यक्तिगत एचईएमएम की सूची को पृथक् रूप से प्रदान किया जाना है।
#	सामान्य अर्थ में खदान विकास व्यय, आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और खदान के स्वामी द्वारा खदान के विकास हेतु निर्णय लिए जाने के बाद, खदान को प्रयोग करने योग्य स्थिति में लाने के लिए किया गया व्यय है। इस शीर्ष के अधीन फाइल करते समय, जहाँ तक संभव हो सके, विवरण पृथक् रूप से दिया जाए। मूल्यांकन और अन्वेषण व्यय सामान्यतः स्थलाकृतिक, भूवैज्ञानिक, जियोकेमिकल और भूभौतिकीय अध्ययनों, खोजपूर्ण ड्रिलिंग, ट्रेन्चिंग, सैंपलिंग करने के द्वारा खनिज की खोज से संबंधित किया गया व्यय, तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक सक्षमता, अन्वेषण करने के अधिकारों के अर्जन आदि के मूल्यांकन के संबंध में गतिविधियों के लिए व्यय है। इस शीर्ष के अधीन फाइल करते समय, जहाँ तक संभव हो सके, विवरण पृथक् रूप से दिया जाए।

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2021

**No.L-1/236/2018/CERC.**—In exercise of powers conferred under clause (s) of sub-section (2) of the section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Section 61 thereof and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely:-

**1. Short Title and Commencement:** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2021.

(2) These regulations shall come into force from the date of notification of these Regulations in official Gazette.

(3) These regulations shall be applicable for the five-year tariff period from 1.4.2019 to 31.3.2024 except amendment in Regulation 6 and Regulation 59 of the Principal Regulations, which shall be applicable from the date of notification of these Regulations in official Gazette.

**2. Amendment to Clause (2) of Regulation 2 of the Principal Regulations:**

2.1 New Clause (1a) shall be added after Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:

“(1a) These regulations shall apply in all cases where a generating company has the arrangement for supply of coal or lignite from the integrated mine(s) allocated to it, for one or more of its specified end use generating stations, whose tariff is required to be determined by the Commission under section 62 of the Act read with section 79 thereof.”

**3. Amendment to Regulation 3 of the Principal Regulations:**

3.1 A new clause, namely Clause (4a) shall be inserted after Clause (4) to Regulation 3 of the Principal Regulations, as under:

“(4a) ‘Annual Target Quantity’ or ‘ATQ’ in respect of an integrated mine(s) means the quantity of coal or lignite to be extracted during a year from such integrated mine(s) as specified in the Mining Plan:

Provided that in case the integrated mine(s) of coal or lignite is ready for supply of coal or lignite as per the Mining Plan but is prevented due to reasons not attributable to the generating company, the Commission may relax the Annual Target Quantity up to a maximum of 15% of the quantity of coal or lignite to be extracted during a year as specified in the Mining Plan.”

3.2 In Clause (5) of Regulation 3 of the Principal Regulations, the words “integrated coal mine” at the end part of the first proviso, shall be substituted with the words “integrated mine(s)”;

3.3 Clause (9) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(9) ‘Capital Cost’ means the capital cost as determined in Regulation 19 of these regulations in respect of generating station or transmission system, as the case may be, and Regulation 36D of these regulations in respect of integrated mine(s).”



3.4 At the end of Clause (14) of Regulation 3 of the Principal Regulations, the words “except in case of integrated mine(s)” shall be added.

3.5 Clause (15) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(15) ‘**Date of Commercial Operation**’ or ‘**COD**’ in respect of a thermal generating station or hydro generating station or transmission system or communication system shall have the same meaning as defined in the Grid Code, as amended from time to time:

Provided that Date of Commercial Operation of integrated mine(s) shall have the same meaning as specified in Regulation 5 of these regulations;”

3.6 A new Clause, namely Clause (15b) shall be inserted after Clause (15a) of Regulation 3 of the Principal Regulations as under:

“(15b) ‘**Date of Commencement of Production**’ in respect of integrated mine(s) means the date of touching of coal or lignite, as the case may be, as declared by the generating company;”

3.7 A new Clause, namely Clause (20b) shall be inserted after Clause (20a) of Regulation 3 of the Principal Regulations as under:

“(20b) ‘**Escrow account**’ means the account for deposit and withdrawal of mine closure expenses of integrated mine(s), maintained in accordance with the guidelines issued by the Coal Controller, Ministry of Coal, Government of India;”

3.8 Clause (21) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(21) ‘**Existing Project**’ means the generating station and the transmission system which has been declared under commercial operation on a date prior to 1.4.2019;”

3.9 In Clause (36) of Regulation 3 of the Principal Regulations, the word “lignite” in the first line shall be substituted with the words “the price of lignite (including transfer price of lignite in respect of existing lignite mines)”.

3.10 Two new provisos shall be added after first proviso of Clause (40) of Regulation 3 of Principal Regulations as under:

“Provided further that in respect of the integrated mine(s), funding and timeline for implementation shall be indicated separately and distinctly in the Investment Approval;

Provided further that where investment approval includes both the generating station and the integrated mine(s), the funding and timeline for implementation of the integrated mine(s) shall be worked out and indicated separately and distinctly in the Investment Approval.”

3.11 A new clause, namely Clause (41a) shall be inserted after Clause (41) of Regulation 3 of the Principal Regulations as under:

“(41a) ‘**Loading Point**’ in respect of integrated mine(s) means the location of railway siding or silo or the coal handling plant or such other arrangements like conveyor belt, whichever is nearest to the mine, for despatch of coal or lignite, as the case may be;”

3.12 Two new clauses, namely Clause (43a) and Clause (43b) shall be inserted after Clause (43) of Regulation 3 of the Principal Regulations as under:

“(43a) ‘**Mine Infrastructure**’ shall include assets of the integrated mine(s) such as tangible assets used for mining operations, being civil works, workshops, immovable winning equipment, foundations, embankments, pavements, electrical systems, communication systems, relief centres, site administrative offices, fixed installations, handling arrangements, crushing and conveying systems, railway sidings, pits, shafts, inclines, underground transport systems, hauling systems (except movable equipment unless the same is embedded in land for permanent beneficial enjoyment thereof), land demarcated for afforestation and land for rehabilitation and resettlement of persons affected by mining operations under the relevant law;

(43b) ‘**Mining Plan**’ or ‘**Mine Plan**’ in respect of integrated mine(s) means a plan prepared in accordance with the provisions of the Mineral Concession Rules, 1960, as amended from time to time and approved under clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Mines and Minerals (Development and Rehabilitation) Act, 1957 by the Central Government or by the State Government, as the case may be;”

3.13 The semi colon (;) at the end of Clause (45) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted by colon (: ) and a proviso shall be added under the said clause as under:

“Provided that for integrated mine(s), the Operation & Maintenance Expenses shall not include the mining charge paid to the Mine Developer and Operator, if any, engaged by the generating company and the mine closure expenses.”

3.14 A new clause, namely Clause (46a) shall be inserted after Clause (46) of Regulation 3 of the Principal Regulations as under:

“(46a) ‘**Peak Rated Capacity**’ in respect of integrated mine(s) means the peak rated capacity of the mine, as specified in the Mining Plan;”.

3.15 A new sub-clause, namely (h) shall be added after sub-clause (g) of Clause (73) of Regulation 3 of the Principal Regulations as under:

“(h) Integrated mine(s) As per the Mining Plan”

#### 4. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations:

4.1 A new clause, namely Clause (4a) shall be added after Clause (4) to Regulation 4 of the Principal Regulations as under:

“(4a) ‘**tonne**’ means a metric tonne of coal or lignite in respect of integrated mine(s);”.

4.2 Clause (5) of Regulation 4 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(5) ‘**Year**’ means a financial year beginning from 1<sup>st</sup> April and ending on 31<sup>st</sup> March:

Provided that the first year in case of new project or integrated mine(s) shall commence from the date of commercial operation and end on the immediately following 31<sup>st</sup> March.”

#### 5. Amendment to Regulation 5 of the Principal Regulations:

5.1 A new clause, namely Clause (3) shall be added after Clause (2) of Regulation 5 of the Principal Regulations as under:

“(3) The date of commercial operation in case of integrated mine(s), shall mean the earliest of —

- a) the first date of the year succeeding the year in which 25% of the Peak Rated Capacity as per the Mining Plan is achieved; or
- b) the first date of the year succeeding the year in which the value of production estimated in accordance with Regulation 7A of these regulations, exceeds total expenditure in that year; or
- c) the date of two years from the date of commencement of production:

Provided that on earliest occurrence of any of the events under sub-clauses (a) to (c) of Clause (3) of this Regulation, the generating company shall declare the date of commercial operation of the integrated mine(s) under the relevant sub-clause with one week prior intimation to the beneficiaries of the end-use or associated generating station(s):

Provided further that in case the integrated mine(s) is ready for commercial operation but is prevented from declaration of the date of commercial operation for reasons not attributable to the generating company or its suppliers or contractors or the Mine Developer and Operator, the Commission, on an application made by the generating company, may approve such other date as the date of commercial operation as may be considered appropriate after considering the relevant reasons that prevented the declaration of the date of commercial operation under any of the sub-clauses of Clause (3) of this Regulation;

Provided also that the generating company seeking the approval of the date of commercial operation under the preceding proviso shall give prior notice of one month to the beneficiaries of the end-use or associated generating station(s) of the integrated mine(s) regarding the date of commercial operation.”

#### 6. Amendment to Regulation 6 of the Principal Regulations:

6.1 Regulation 6 of the Principal Regulations shall be deleted.

#### 7. Insertion of New Regulation 7A in the Principal Regulations:

7.1 A new Regulation, namely Regulation 7A, shall be inserted after Regulation 7 of the Principal Regulations as under:

“**7A. Supply of Coal or Lignite prior to the Date of Commercial Operation of Integrated Mine:** The input price for supply of coal or lignite from the integrated mine(s) prior to their date of commercial operation shall be:

- (a) in case of coal, the estimated price available in the investment approval, or the notified price of Coal India Limited for the corresponding grade of coal supplied to the power sector, whichever is lower; and

- (b) in case of lignite, the estimated price available in the investment approval or the last available pooled lignite price as determined by the Commission for transfer price of lignite, whichever is lower:

Provided that any revenue earned from supply of coal or lignite prior to the date of commercial operation of the integrated mine(s) shall be applied in adjusting the capital cost of the said integrated mine(s).”

#### **8. Amendment to Regulation 9 of the Principal Regulations:**

8.1 The full stop (.) at the end of Clause (4) of Regulation 9 of the Principal Regulations shall be substituted with colon (: ) and a proviso shall be inserted after the said clause as under:

“Provided that a generating company with integrated mine(s) shall file a petition for determination of input price of coal or lignite from the integrated mine(s) not later than 60 days from the date of commercial operation of the integrated mine(s) or from the date of notification of these regulations, whichever is later and may also seek determination or revision of tariff of the concerned generating station(s) in accordance with these regulations.”

#### **9. Amendment to Regulation 10 of the Principal Regulations:**

9.1 A new clause, namely Clause (1a) shall be inserted after Clause (1) of Regulation 10 of the Principal Regulations as under:

“(1a) The generating company having integrated mine(s) shall file petition before the Commission as per **Annexure-I (Part IV)** to these regulations for determination of the input price of coal or lignite from the integrated mine(s) containing the details of expenditure incurred and projected to be incurred duly certified by the Auditor.”

#### **10. Amendment to Regulation 11 of the Principal Regulations:**

10.1 A new clause, namely Clause (2) shall be added after Clause (1) of Regulation 11 of the Principal Regulations as under:

“(2) The generating company undertaking any additional capitalization in integrated mine(s) on account of change in law events or force majeure conditions may, after intimating the beneficiaries, file petition for in-principle approval for incurring such expenditure, along with underlying assumptions, estimates and justification for such expenditure, if the estimated expenditure exceeds 10% of the admitted capital cost of the integrated mine(s) or Rs.100 crore, whichever is lower;”

#### **11. Amendment to Regulation 13 of the Principal Regulations:**

11.1. A new clause, namely Clause (1a) shall be inserted after Clause (1) of Regulation 13 of the Principal Regulations as under:

“(1a) The input price of coal or lignite from the integrated mine(s) of the generating station(s) for the tariff period 2019-24 shall be trued up for:

- a) the capital expenditure including additional capital expenditure incurred up to 31.3.2024, as allowed by the Commission;
- b) the capital expenditure including additional capital expenditure incurred up to 31.3.2024, on account of Force Majeure and Change in Law, as admitted by the Commission.”
- c) The Operation and Maintenance expenses in accordance with provisions of Regulation 36I.”

11.2. A new clause, namely Clause (4a) shall be inserted after Clause (4) of Regulation 13 of the Principal Regulations as under:

“(4a) After truing up, if the input price already recovered exceeds or falls short of the input price approved by the Commission under these regulations, the excess or the shortfall amount shall be refunded or recovered, as the case may be, by the generating company along with simple interest at the rate equal to the bank rate as on 1<sup>st</sup> April of the respective years of the tariff period in six equal monthly instalments:

Provided that the generating company shall refund such excess amount or recover the shortfall amount from the beneficiaries based on scheduled energy.”

#### **12. Amendment to Regulation 16 of the Principal Regulations:**

12.1. A new proviso shall be added after second proviso of Regulation 16 of the Principal Regulations as under:

“Provided also that in case of supply of coal or lignite from the integrated mine(s), the landed cost of primary fuel shall be based on the input price of coal or lignite, as the case may be, as computed in accordance with these regulations.”

**13. Amendment to Regulation 22 of the Principal Regulations:**

13.1 In Regulation 22 of the Principal Regulations, the word “project” shall be substituted with the words “new projects”.

**14. Amendment to Title of Chapter-9 of the Principal Regulations:**

14.1 The word “COMPUTATION” in title of Chapter-9 of the Principal Regulations shall be substituted with the word “DETERMINATION”.

**15. Amendment to Regulation 36 of the Principal Regulations:**

15.1 In Clause (1) of Regulation 36 of the Principal Regulations, the words “computed in accordance with the regulations to be notified separately by the Commission” shall be substituted with the words “determined in accordance with these regulations”.

15.2 Clauses (2) and (3) of Regulation 36 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(2) The generating company shall, after the date of commercial operation of the integrated mine(s) till the input price of coal is determined by the Commission under these regulations, adopt the notified price of Coal India Limited commensurate with the grade of the coal from the integrated mine(s) or the estimated price available in the investment approval, whichever is lower, as the input price of coal for the generating station:

Provided that the difference between the input price of coal determined under these regulations and the input price of coal so adopted prior to such determination, for the quantity of coal billed, shall be adjusted in accordance with Clause (4) of this Regulation.

(3) The generating company shall, after the date of commercial operation of the integrated mine(s), till the input price of lignite is determined by the Commission under these regulations, fix the input price of lignite for the generating station at the last available pooled lignite price as determined by the Commission for transfer price of lignite or the estimated price available in the investment approval, whichever is lower:

Provided that the difference between the input price of lignite determined under these regulations and the input price of lignite so fixed prior to such determination, for the quantity of lignite billed, shall be adjusted in accordance with Clause (4) of this Regulation.”

15.3 A new clause, namely Clause (4) shall be added after Clause (3) of Regulation 36 of the Principal Regulations as under:

“(4) In case of excess or short recovery of input price under Clauses (2) or (3) of this Regulation, the generating company shall refund the excess amount or recover the shortfall amount, as the case may be, with simple rate of interest, equal to the bank rate prevailing as on 1<sup>st</sup> April of the respective years of the tariff period, in six equal monthly instalments.”

**16. Insertion of New Regulations under Chapter 9 of the Principal Regulations:**

16.1 The following Regulations (36A to 36P) shall be added after Regulation 36 of the Principal Regulations as under:

**“36A. Input Price of coal or Lignite:** (1) Input price of coal or lignite from the integrated mine(s) shall be determined based on the following components:

- I) Run of Mine (ROM) Cost; and
- II) Additional charges:
  - a. crushing charges;
  - b. transportation charge within the mine up to the washery end or coal handling plant associated with the integrated mine, as the case may be;
  - c. handling charges at mine end;
  - d. washing charges; and
  - e. transportation charges beyond the washery end or coal handling plant, as the case may be, and up to the loading point:

Provided that one or more components of additional charges may be applicable in case of the

integrated mine(s), based on the scope and nature of the mining activities;

Provided further that the input price of lignite shall be computed based on Run of Mine (ROM) based on the technology such as bucket excavator-conveyor or belt-spreader or its combination and handling charges, if any.

(2) Statutory Charges, as applicable, shall be allowed.

**36B. Run of Mine (ROM) Cost:** (1) Run of Mine Cost of coal in case of integrated mine(s) allocated through auction route under Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 shall be worked out as under:

$$\text{ROM Cost} = (\text{Quoted Price of coal}) + (\text{Fixed Reserve Price})$$

Where,

(i) Quoted Price of coal is the Final Price Offer of coal in respect of the concerned coal block or mine, along with subsequent escalation, if any, as provided in the Coal Mine Development and Production Agreement:

Provided that additional premium, if any, quoted by the generating company during auction, shall not be considered in the Run of Mine Cost;

(ii) Fixed Reserve Price is the fixed reserve price per tonne along with subsequent escalation, if any, as provided in the Coal Mine Development and Production Agreement: and

(iii) Capital cost under Regulation 36D and additional capital expenditure under Regulation 36E shall not be admissible for the purpose of ROM cost in respect of integrated mine(s) allocated through auction route.

(2) Run of Mine Cost of coal in case of integrated mine allocated through allotment route under Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 shall be worked out as under:

$$\text{ROM Cost} = [(\text{Annual Extraction Cost} / \text{ATQ}) + \text{Mining Charge}] + (\text{Fixed Reserve Price}).$$

Where,

(i) Annual Extraction Cost is the cost of extraction of coal as computed in accordance with Regulation 36F of these regulations;

(ii) Mining Charge is the charge per tonne of coal paid by the generating company to the Mine Developer and Operator engaged by the generating company for mining, wherever applicable; and

(iii) Fixed Reserve Price is the fixed reserve price per tonne along with subsequent escalation, if any, as provided in the Coal Mine Development and Production Agreement.

(3) Run of Mine Cost of lignite in case of integrated mine(s) for lignite shall be worked out as under:

$$\text{ROM Cost} = [(\text{Annual Extraction Cost} / \text{ATQ}) + (\text{Mining Charge})]$$

Where,

(i) Annual Extraction Cost is the cost of extraction of lignite as computed in accordance with Regulation 36F of these regulations; and

(ii) Mining Charge is the charge per tonne of lignite paid by the generating company to the Mine Developer and Operator engaged by the generating company for mining, wherever applicable.

(4) The generating company shall adhere to the Mining Plan for extraction of coal or lignite on annual basis and shall submit a certificate to that effect from the Coal Controller or the competent authority:

Provided that deviations from the Mining Plan shall be considered only if such deviations have been approved by the Coal Controller or the revised Mining Plan has been approved by the competent authority.

;

(5) Run of Mine Cost of coal and lignite shall be worked out in terms of Rupees per tonne.

**36C. Additional Charges:** (1) Where crushing or transportation or handling or washing are undertaken by the generating company without engaging Mine Developer and Operator or an agency other than Mine Developer and Operator, additional charges shall be worked out as under:

- (i) Crushing Charges = Annual Crushing Cost/Quantity;
- (ii) Transportation Charges= Annual Transportation Cost/Quantity:

Provided that separate transportation charges, as applicable, shall be considered from mine up to washery end or coal handling plant associated with the integrated mine(s) and beyond washery end or coal handling plant associated with the integrated mine(s) and up to the loading point, as the case may be;

- (iii) Handling charges = Annual Handling Cost/Quantity; and
- (iv) Washing Charges = Annual Washing Cost/Quantity.

Where,

- (a) Annual Crushing Cost, Annual Transportation Cost, Annual Handling Cost and Annual Washing Cost shall be worked out on the basis of following components, for which the generating company shall submit the capital cost separately:
  - (i) Depreciation;
  - (ii) Interest on Working Capital;
  - (iii) Interest on Loan;
  - (iv) Return on Equity;
  - (v) Operation and Maintenance Expenses, excluding mining charge;
  - (vi) Statutory charges, if applicable.
- (b) Quantity shall be the quantity of coal or lignite in tonne crushed or transported or handled or washed, as the case may be, during the year duly certified by the Auditor.

(2) Where crushing, transportation, handling or washing are within the scope of the Mine Developer and Operator engaged by the generating company, no additional charges shall be admitted, as the same shall be recovered through Mining Charge of the Mine Developer and Operator.

(3) Where crushing, transportation, handling or washing are undertaken by the generating company by engaging an agency other than Mine Developer and Operator, the annual charges of such agencies shall be considered as part of the Operation and Maintenance Expenses, provided that the charges have been discovered through a transparent competitive bidding process.

(4) The crushing charges, transportation charges, handling charges, and washing charges shall be admitted by the Commission after prudence check, considering charges of Coal India Limited or similarly placed coal mines or any other reference charges.

(5) The crushing charges, transportation charges, handling charges, and washing charges shall be worked out in terms of Rupees per tonne

**36D. Capital Cost:** (1) The expenditure incurred, including IDC and IEDC, duly certified by the Auditor, for development of the integrated mine(s) up to the date of commercial operation, shall be considered for arriving at the capital cost.

(2) Capital expenditure incurred shall be admitted by the Commission after prudence check.

(3) Capital expenditure incurred on infrastructure for crushing, transportation, handling, washing and other mining activities required for mining operations shall be arrived at separately in accordance with these regulations:

Provided that where crushing, transportation, handling or washing are undertaken by the generating company, the expenditure incurred on infrastructures of these components shall be capitalized;

Provided further that where mine development and operation, with or without any component of crushing, transportation, handling or washing are undertaken by the generating company by engaging Mine Developer and Operator or an agency other than Mine Developer and Operator, the capital expenditure incurred by Mine Developer and Operator or such agency shall not be capitalised by the generating company and shall not be considered for the determination of input price.

(4) The capital expenditure shall be determined by considering, but not limited to, the Mining Plan, detailed project report, mine closure plan, cost audit report and such other details as deemed fit by the Commission.

(5) In case of integrated mine(s) which have declared the date of commercial operation prior to 1.4.2019, the capital expenditure allowed by the Commission for the period ending 31.3.2019 shall form the basis for computation of input price.

**36E. Additional Capital Expenditure:** (1) The expenditure, in respect of the integrated mine(s), incurred or projected to be incurred after the date of commercial operation and upto the date of achieving the Peak Rated Capacity may be admitted by the Commission, subject to prudence check and shall be capitalized in the respective year of the tariff period as additional capital expenditure corresponding to the Annual Target Quantity of the year as specified in the Mining Plan or actual extraction in that year, whichever is higher, on following counts:

- (a) expenditure incurred on activities as per the Mining Plan;
- (b) expenditure for works deferred for execution and un-discharged liabilities recognized for works executed prior to date of commercial operation;
- (c) expenditure for works required to be carried out for complying with directions or orders of any statutory authorities;
- (d) liabilities arising out of compliance of order or decree of any court of law or award of arbitration;
- (e) expenditure for procurement and development of land as per the Mining Plan;
- (f) expenditure for procurement of additional heavy earth moving machineries for replacement, on completion of their useful life; and
- (g) liabilities due to Change in Law or Force Majeure events;

Provided that in case of replacement of any assets, the additional capitalization shall be worked out after adjusting the gross fixed assets and cumulative depreciation of the assets replaced on account of de-capitalization:

Provided further that the generating company shall prepare guidelines for procurement and replacement of heavy mining equipment such as Heavy Earth Moving Machineries and share the same with the beneficiaries and submit it to the Commission along with its petition.

(2) The expenditure, in respect of the integrated mine(s), incurred or projected to be incurred after the date of achieving the Peak Rated Capacity may be admitted by the Commission subject to prudence check, and shall be capitalized as Additional Capital Expenditure, corresponding to the Annual Target Quantity of the respective years as specified in the Mining Plan, on following counts:

- (a) expenditure incurred on activities, if any, as per Mining Plan;
- (b) expenditure for works required to be carried out for complying with directions or order of any statutory authority;
- (c) liabilities arising out of compliance of order or decree of any court of law or award of arbitration;
- (d) expenditure for procurement and development of land as per the Mining Plan; and
- (e) liabilities due to Change in Law or Force Majeure events;

Provided that in case of replacement of any assets, the additional capitalization shall be worked out after adjusting the gross fixed assets, cumulative depreciation and cumulative repayment of loan of the assets replaced on account of de-capitalization.

(3) The expenditure on following counts shall not be considered as additional capital expenditure for the purpose of these regulations:

- a) expenditure incurred but not capitalized as the assets have not been put in service (capital work in progress);
- b) mine closure expenses;
- c) expenditure on works not covered under Mining Plan, unless covered under sub-clause (g) of Clause (1) or sub-clause (e) of Clause (2) of this Regulation;
- d) expenditure on replacement due to obsolescence of assets on account of completion of the

useful life or due to obsolescence of technology, if the original cost of such assets have not been de-capitalised from the gross fixed assets.

**36F. Annual Extraction Cost:** The Annual Extraction Cost of integrated mine(s) shall consist of the following components:

- (i) Depreciation;
- (ii) Interest on Loan;
- (iii) Return on Equity;
- (iv) Operation and Maintenance Expenses, excluding mining charge;
- (v) Interest on Working Capital;
- (vi) Mine closure expenses, if not included in mining charge; and
- (vii) Statutory charges, if applicable.

**36G. Capital Structure, Return on Equity and Interest on Loan:** (1) For integrated mine(s), debt-equity ratio as on the date of commercial operation and as on the date of achieving Peak Rated Capacity shall be considered in the manner as specified under Clause (1) of Regulation 18 of these regulations:

Provided that for integrated mine(s) in respect of lignite with the date of commercial operation prior to 1.4.2019, debt-equity ratio allowed by the Commission for the period ending 31.3.2019 shall form the basis for computation of input price.

(2) For integrated mine(s), debt-equity ratio for additional capital expenditure admitted by the Commission under these regulations shall be considered in the manner as specified under Clause (1) of this Regulation.

(3) Return on equity shall be computed in rupee terms on the equity base arrived under Clause (1) of this Regulation at the base rate of 14%.

(4) The base rate of return on equity as per Clause (3) of this Regulation shall be grossed up with the effective tax rate computed in the manner specified under Regulation 31 of these regulations.

(5) Interest on loan, including normative loan, if any, determined under Clause (1) of this Regulation, shall be arrived at by considering the weighted average rate of interest calculated on the basis of actual loan portfolio, in accordance with Clauses (2) to (7) of Regulation 32 of these regulations.

**36H. Depreciation:** (1) Depreciation in respect of integrated mine(s) shall be computed from the date of commercial operation by applying Straight Line Method:

Provided that depreciation methodology allowed in respect of integrated mine(s) of lignite which have been declared under commercial operation on or before 31.3.2019, shall continue to apply for determination of input price of lignite.

(2) The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset admitted by the Commission:

Provided that,

- i) freehold land or assets purchased from grant shall not be considered as depreciable assets and their cost shall be excluded from the capital cost while computing depreciable value of the assets;
- ii) where the allotment of freehold land is conditional and is required to be returned, the cost of such land shall be part of value base for the purpose of depreciation, subject to prudence check by the Commission; and
- iii) lease hold land shall be amortized over the lease period or remaining life of the integrated mine(s), whichever is lower.

(3) The salvage value of an asset shall be considered as 5% of the capital cost of the asset:

Provided that the salvage value shall be:

- i) zero for IT equipment and software;
- ii) zero or as agreed by the generating company with the State Government for land; and
- iii) as notified by the Ministry of Corporate Affairs under the Companies Act, 2013 for specialized mining equipment.



(4) Depreciation in respect of integrated mine(s) shall be arrived at annually by applying depreciation rates or on the basis of expected useful life specified in Appendix 1A of these regulations:

Provided that specialized mining equipment shall be depreciated as per the useful life and depreciation rate as notified by the Ministry of Corporate Affairs under the Companies Act, 2013.

**36I. Operation and Maintenance Expenses:** (1) The Operation and Maintenance Expenses in respect of integrated mine(s) shall be allowed as under:

(a) The Operation and Maintenance expenses in respect of integrated mine(s) of coal, for the tariff period ending on 31<sup>st</sup> March 2024 shall be allowed based on the projected Operation and Maintenance Expenses for each year of the tariff period subject to prudence check by the Commission;

Provided that the Operation and Maintenance expenses allowed under this clause shall be trued up based on actual expenses for the tariff period ending on 31<sup>st</sup> March, 2024.

(b) The Operation and Maintenance expenses for the tariff period ending on 31<sup>st</sup> March 2024 in respect of the integrated mine(s) of lignite commissioned on or before 31<sup>st</sup> March 2019, shall be worked out based on the Operation and Maintenance expenses as admitted by the Commission during 2018-19 and escalated at the rate of 3.5% per annum;

(c) The Operation and Maintenance expenses for the tariff period ending on 31<sup>st</sup> March 2024 in respect of the integrated mine(s) of lignite commissioned after 31<sup>st</sup> March 2019, shall be allowed based on the projected Operation and Maintenance Expenses for each year of the tariff period, subject to prudence check by the Commission;

Provided that the Operation and Maintenance expenses allowed under this clause shall be trued up based on actual expenses for the tariff period ending on 31<sup>st</sup> March 2024.

(2) Where the development and operation of the integrated mine(s) is undertaken by the generating company by engaging Mine Developer and Operator, the Mining Charge of such Mine Developer and Operator shall not be included in Operation and Maintenance Expenses under Clause (1) of this Regulation;

(3) Where an agency other than Mine Developer and Operator is engaged by the generating company, through a transparent competitive bidding process, for crushing or transportation or handling or washing or any combination thereof, the annual charges of such agency shall be considered as part of Operation and Maintenance Expenses under clause (1) of this Regulation, subject to prudence check by the Commission.

**36J. Interest on Working Capital:** (1) The working capital of the integrated mine(s) of coal shall cover:

- (i) Input cost of coal stock for 7 days of production corresponding to the Annual Target Quantity for the relevant year;
- (ii) Consumption of stores and spares including explosives, lubricants and fuel @ 15% of operation and maintenance expenses, excluding mining charge of Mine Developer and Operator and annual charges of the agency other than Mine Developer and Operator, engaged by the generating company; and
- (iii) Operation and maintenance expenses for one month, excluding mining charge of Mine Developer and Operator and annual charges of the agency other than Mine Developer and Operator, engaged by the generating company.

(2) The working capital of the integrated mine(s) of lignite shall cover:-

- (i) Input cost of lignite stock for 7 days of production corresponding to the Annual Target Quantity for the year;
- (ii) Consumption of stores and spare including explosives, lubricants and fuel @ 20% of Operation and Maintenance expenses, excluding Mining Charge of Mine Developer and Operator and annual charges of the agency other than Mine Developer or Operator, engaged by the generating company; and
- (iii) Operation and Maintenance expenses for one month, excluding Mining Charge of Mine Developer and Operator and annual charges of the agency other than Mine Developer and Operator, engaged by the generating company.

(3) The rate and payment of interest on working capital shall be determined in accordance with Clauses (3) and (4) of Regulation 34 of these regulations.

**36K. Mine Closure Expenses:** (1) Where the mine closure is undertaken by the generating company, the amount deposited in the Escrow account as per the Mining Plan, after adjusting interest earned, if any, on the said deposits shall be admitted as Mine Closure Expenses:

Provided that,

- a) the amount deposited in the Escrow account as per the Mining Plan prior to the Date of Commercial Operation of the integrated mine(s) shall be indicated separately and shall be recovered over the useful life of the integrated mine(s) in the form of annuity linked to the borrowing rate;
  - b) the amount deposited in the Escrow account as per the Mining Plan or any expenditure incurred towards mine closure shall be excluded from the capital cost for computing input price;
  - c) where the expenditure incurred towards mine closure falls short of or is in excess of the reimbursement received from the Escrow account during the tariff period 2019-24, the shortfall or excess shall be carried forward to the subsequent years for adjustments.
- (2) The amount towards mine closure shall be deposited in the Escrow account as per the Mining Plan and shall be recovered as part of input price irrespective of the expenditure incurred towards mine closure during any of the years of the tariff period.

(3) Where mine closure is within the scope of Mine Developer and Operator engaged by the generating company and mine closure expenses are part of the Mining Charge of Mine Developer and Operator, the mine closure expenses shall be met out of the Mining Charge and no mine closure expenses shall be admissible to the generating company separately:

Provided that,

- a) the amount deposited in the Escrow account by the Mine Developer and Operator or by the generating company and any amount received from the Escrow Account against expenditure incurred towards mine closure shall not be considered for computing input price; and
  - b) the difference between the borrowing cost, arrived at by considering the weighted average rate of interest calculated on the basis of actual loan portfolio in accordance with the methodology specified in Regulation 32 of these regulations, and the amount deposited in Escrow account and the interest received from Escrow account in a year shall be adjusted in the input price of coal or lignite of the respective year, as part of mine closure expenses, on case to case basis;
- (4) Where the mine closure is within the scope of Mine Developer and Operator engaged by the generating company only for a part of useful life of the integrated mine(s) and the generating company undertakes the mine closure for the balance useful life, the treatment of mine closure during the period undertaken by the generating company shall be in accordance with Clause(1) of this Regulation and mine closure during the period undertaken by the Mine Developer and Operator shall be in accordance with Clause (3) of this Regulation:

Provided that the treatment of mine closure at the end of useful life of the integrated mine(s) shall be decided by the Commission on case to case basis.

(5) The mine closure expenses worked out in accordance with this Regulation shall not be applicable in case of the integrated mine(s) allocated through auction route under Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015.

**36L. Determination of Input Price:** (1) The input price of coal or lignite shall be determined as under:

$$\text{Input Price} = [\text{ROM Cost} + \text{Additional charges}]$$

(2) The credit arising on account of adjustment due to shortfall in overburden removal, GCV Adjustment and Non-tariff Income, if any, shall be dealt separately in the manner specified in these regulations.

(3) Statutory Charges, as applicable, shall be allowed.

**36M. Recovery of Input Charges:** (1) The input charges of coal or lignite shall be recovered as under:

$$\text{Input Charges} = [\text{Input Price} \times \text{Quantity of coal or lignite supplied}] + \text{Statutory charges, as applicable};$$

Provided that where energy charge rate based on input price of coal from integrated mine(s) exceeds by 20% of energy charge rate based on notified price of Coal India Limited for the commensurate grade of coal in a month, prior consent of the beneficiary(ies) shall be required to be obtained by the generating company;

Provided further that where such consents of beneficiaries are not available, input price of coal from

such integrated mine(s) shall be so fixed that energy charge rate based on input price of coal from integrated mine(s) does not exceed by more than 20% the energy charge rate based on notified price of Coal India Limited for the commensurate grade of coal in a month;

Provided also that energy charge rate based on input price of coal does not lead to higher energy charge rate throughout the tenure of power purchase agreement than that which would have been obtained as per terms and conditions of the existing power purchase agreement.

(2) The generating company shall work out the comparative energy charge rate based on the input price of coal and notified price of Coal India Limited for the commensurate grade of coal for every month from the date of commercial operation of integrated mine(s) and share the same with beneficiaries.

**36N. Adjustment on account of Shortfall of Overburden Removal (OB Adjustment):** (1) The generating company shall remove overburden as specified in the Mining Plan.

(2) In case of shortfall of overburden removal during a year, the generating company shall be allowed to adjust such shortfall against excess of overburden removal, if any, during subsequent three years.

(3) In case of excess of overburden removal during a year, the generating company shall be allowed to carry forward such excess for adjustment against the shortfall, if any, during subsequent three years.

(4) Where the shortfall of overburden removal of any year is not made good by the generating company in accordance with Clause (2) of this Regulation, the adjustment on account of shortfall of overburden removal (OB Adjustment) for that year shall be worked out as under:

$$\text{OB Adjustment} = \frac{\text{[Factor of adjustment for shortfall of overburden removal during the year]} \times \text{[Mining Charge during the year + Operation and Maintenance expenses during the year]}}{\text{[Actual quantity of coal or lignite extracted during the year x Annual Stripping Ratio as per Mining Plan] - (Actual quantity of overburden removed during the year/ Annual Stripping Ratio as per Mining Plan)}/ \text{Annual Target Quantity}}$$

Where,

- i) Factor of adjustment for shortfall of overburden removal during the year shall be computed as under:
 
$$\frac{\text{[(Actual quantity of coal or lignite extracted during the year x Annual Stripping Ratio as per Mining Plan) - (Actual quantity of overburden removed during the year/ Annual Stripping Ratio as per Mining Plan)]}}{\text{Annual Target Quantity}}$$
- ii) Annual Stripping ratio is the ratio of volume of overburden to be removed for one unit of coal or lignite as specified in the Mining Plan.
- iii) Mining Charge is the charge per tonne of coal or lignite paid by the generating company to the Mine Developer and Operator engaged by the generating company for mining, wherever applicable.
- iv) Mining Charge and Operation and Maintenance expenses shall be in terms of Rupees per tonne corresponding to the Annual Target Quantity.

(5) The provisions of this Regulation regarding adjustment on account of shortfall of overburden removal shall not be applicable in case of the integrated mine(s) allocated through auction route under Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015.

**36O. Adjustment on account of shortfall in GCV (GCV Adjustment):** (1) In case the weighted average GCV of coal extracted from the integrated mine(s) in a year is higher than the declared GCV of coal for such mine(s), no GCV adjustment shall be allowed.

(2) In case the weighted average GCV of coal extracted from the integrated mine(s) in a year is lower than the declared GCV of coal of such mine(s), the GCV adjustment in that year shall be worked out as under:

(a) Where the integrated mine(s) are allocated through auction route under Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015:

$$\text{GCV Adjustment} = \frac{\text{(Quoted Price of coal + Fixed Reserve Price)} \times \text{[(Declared GCV of coal - Weighted Average GCV of coal extracted in the year)/(Declared GCV of coal]}}{\text{}}$$

Where,

- i) Quoted Price of coal is the Final Price Offer of coal in respect of the concerned coal Block or Mine, along with subsequent escalation, if any, as provided in the Coal Mine Development and Production Agreement:

Provided that additional premium, if any, quoted by the generating company in auction, shall not be considered; and

ii) Declared GCV of coal shall be the GCV of coal as specified or quoted in the auction.

(b) Where the integrated mine(s) are allocated through allotment route under Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015:

$$\text{GCV Adjustment} = [(\text{Annual Extraction Cost/ATQ}) + (\text{Mining Charge})] \times [(\text{Declared GCV of coal} - \text{Weighted Average GCV of coal extracted in the year}) / (\text{Declared GCV of coal})]$$

Where,

- i) Annual Extraction Cost is the cost of extraction of coal as computed in accordance with Regulation 36F of these regulations;
- ii) Mining Charge is the charge per tonne of coal paid by the generating company to the Mine Developer and Operator engaged by the generating company for mining, wherever applicable; and
- iii) Declared GCV of coal shall be the average GCV as per the Mining Plan or as approved by the Coal Controller.

**36P. Adjustment on account of Non-tariff income (NTI Adjustment):** (1) Adjustment on account of non-tariff income (NTI Adjustment) for any year, such as income from sale of washery rejects in case of integrated mine of coal and profit, if any, from supply of coal to the Coal India Limited or merchant sale of coal as allowed under the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 shall be worked out as under:

$$\text{NTI Adjustment} = \frac{\text{All Non-tariff income during the year}}{\text{Actual quantity of coal or lignite extracted during the year}}$$

(2) The adjustment on account of non-tariff income worked out in accordance with this Regulation shall not be applicable in case of the integrated mine(s) allocated through auction route under Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015.

**36Q. Credit Adjustment Note:** (1) The credit arising on account of OB Adjustment, GCV Adjustment and NTI Adjustment shall be dealt through Credit Adjustment Note for any year.

(2) The Credit Adjustment Note shall be issued in favour of the specified end use generating stations on account of OB Adjustment, GCV Adjustment or NTI Adjustment, as the case may be, for that year as under:

- (i) OB Adjustment for the year X Quantity of coal or lignite supplied in that year;
- (ii) GCV Adjustment for the year X Quantity of coal or lignite supplied in that year; and
- (iii) NTI Adjustment in the year X Quantity of coal or lignite supplied in that year.

(3) The amount in Credit Adjustment Note shall be adjusted against the charges of coal or lignite supplied after the date of issue of Credit Adjustment Note. The integrated mine(s) shall prepare an annual reconciliation statement of such adjustment and furnish the same to all the end use plants and also publish the same on its website.

**36R. Quality Measurement:** The quality of coal or lignite supplied from the integrated mine(s) shall be measured at the loading point through third party sampling as per the guidelines and procedure specified by the Ministry of Coal, Government of India and records of such measurement of quality of coal shall be made available to the beneficiaries on demand.

**36S. Special Provision:** Provisions of Chapters 5 to 8 of these regulations shall not be applicable in case of integrated mine(s), except to the extent specifically provided for or referred to in Chapter-9:

Provided that the financial parameters required for determination of input price of coal or lignite from integrated mine(s), if not specifically provided for or referred to in Chapter-9, shall be considered as per provisions of these regulations as applicable to the coal or lignite based generating stations”.

## 17. Amendment to Regulation 59 of the Principal Regulations:

17.1. The existing Regulation 59 shall be treated as Clause (1) of Regulation 59 and a new Clause shall be added after Clause (1) of Regulation 59 of the Principal Regulations as under:

“(2) Unless otherwise agreed by the parties, the charges payable by a beneficiary or long term customer shall be first adjusted towards late payment surcharge on the outstanding charges and thereafter, towards monthly charges billed by the generating company or the transmission licensee, as the case may be, starting from the longest overdue bill.”

### 18. Amendment to Regulation 66 of the Principal Regulations:

18.1 A new clause, namely Clause (6), shall be added after Clause (5) of Regulation 66 of the Principal Regulations as under:

“(6) Where a generating company and its beneficiaries or a transmission licensee and its long-term customers have mutually agreed to charge lower tariff in respect of a particular generating station or transmission system in terms of Clauses (1) to (3) of this Regulation, the said agreed tariff shall not be

revised upwards at the time of truing up based on the capital cost and additional capital expenditures in accordance with these regulations:

Provided that where the trued up tariff is lower than the agreed tariff, the generating company or the transmission licensee shall charge such trued-up tariff only:

Provided further that the difference between the agreed tariff and the trued-up tariff shall be settled between the parties in accordance with Clause (4) of Regulation 13 of these regulations.”

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./257/2021-22]

**Note:** (1) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019 were published in Part III- Section 4, No.144 of the Gazette of India (Extraordinary) dated May 3, 2019.

(2) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2020 were published in Part III- Section 4, No.53 of the Gazette of India (Extraordinary) dated Feb 3, 2021.

### Appendix IA (Depreciation Schedule for Integrated Mine)

DEPRECIATION SCHEDULE FOR INTEGRATED MINE		
Sr No	Asset Particulars	Life in Years
1	Land Freehold@	999
2	Land Leasehold	&&&
3	Temporary erections	1
4	HEMM <sup>s</sup>	8
5	Roads, bridges, culverts, helipads	25
6	Main Plant Buildings	30
7	Machinery other than HEMM	15
8	Water Supply, Drainage and sewerage	15
9	Furniture and Fixtures	15
10	Office equipment/s other than computers	15
11	Hospital equipment(s)	15
12	EDP, WP machines, SATCOM & communication equipment	15
13	Electrical installations	15
14	Self propelled vehicles	10
15	Computers, Software	3
16	Laboratory & workshop equipment	15
17	Mine Development Expenses and Evaluation and exploration <sup>#</sup>	20 or life of mine, whichever is lower
18	Evaluation and Exploration <sup>#</sup>	20 or life of mine, whichever is lower
19	Others not covered above	15

*	Salvage Value shall be other than 5% for following assets - a. IT Equipment, software Zero(0) b. Zero or as agreed with state Government in case of land c. For specialized mining equipment as specified by Ministry of Corporate affairs d. Mine Development expenses, Evaluation and Exploration Zero (0)
@	Petitioner to submit if the Freehold Land is attached with any conditions for return. If yes to submit the conditions and period after which the land is to be returned. In such case the land shall be depreciable based on such details.
&&&	To be filled by petitioner, least of lease agreement/mine life/right to use period
\$	List of individual HEMM with cost of each HEMM be provided separately
#	In generic sense Mine Development Expenditure is the expenditure incurred to bring the mine in usable condition after ensuring the economic viability and decision is taken by Mine Owner to develop the mine. While filling under this head details to the extent feasible are to be given separately. Evaluation and exploration expenditure is generally the expenditure incurred associated with finding the mineral by carrying out topographical, geological, geochemical and geophysical studies, exploratory drilling, trenching, sampling, expenditure for activities in relation to evaluation of technical feasibility and commercial viability, acquisition of rights to explore etc. While filling under this head details to the extent feasible are to be given separately.